Estd. 1926

BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | April 2019 | No. 04

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, एडवांटेज सपोर्ट व पुतुल फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में ''आओ वोट करें'' विषय पर चैम्बर में सेमिनार आयोजित

सेमिनार में मंचासीन बाँयें से क्रमशः लेखक शिवम कुमार सिंह, पत्रकार सुंधाशु रंजन, चैम्बर महामंत्री अमित मुखर्जी, सीएसडीसी के संजय कुमार, वरिष्ठ सर्जन डॉ० ए० ए० हई, पुतुल फाउण्डेशन के सचिव मनीष वर्मा, एडवांटेज सपोर्ट के सचिव खुर्शीद अहमद एवं चैम्बर उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 6 अप्रील 2019 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, एडवांटेज सपोर्ट व पुतुल फाउण्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में ''आओ वोट करें'' विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ। जिसमें मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुप्रसिद्ध वरिष्ठ सर्जन डॉ० ए. ए. हई ने कहा कि मतदान को लगाम समझकर मताधिकार का प्रयोग करें। अगर लगाम का प्रयोग नहीं करते हैं तो हुकूमत बेलगाम हो जायेगी जिसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ेगा।

इस अवसर पर बिहार पुलिस अकादमी के महानिदेशक आलोक राज ने कहा कि सरकारी महकमों के साथ-साथ प्राईवेट संस्थानों द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। 1960 के दशक बाद चुनाव का स्वरूप अप्रत्याशित रूप से बदला है। पुलिस महकमा भी मतदाताओं में ईवीएम, वीवीपैट के बारे में जागरूकता फैला रहा है। जिला प्रशासन भी मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान करने के लिए जागरूक कर रहा है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता पर कहा कि पार्टी उम्मीदवार तथा सरकारी तंत्र इससे जुड़ा है। इसलिए हमलोगों को सोच-समझकर कदम उठाना पड़ रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में अपने चुनाव संचालन का अनुभव बताते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना प्रशासन और पुलिस के लिए कठिन चुनौती रहती है।

एडवांटेड सपोर्ट के सचिव खुर्शीद अहमद ने कहा कि चुनाव के दिन कई लोग छुट्टियां मनाने लगते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए देश की खातिर समय निकालकर मतदान करें।

सेमिनार को संबोधित करते चैम्बर महामंत्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अमित मुखर्जी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से राजनीति बदली है। वोट देना आपका दायित्व और जिम्मेदारी है। मतदान अवश्य करें।

पत्रकार सुधांशु रंजन ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। वोट करने से पहले उम्मीदवार के चरित्र और ईमानदारी के बारे में जानकारी हासिल जरूर करें।

लेखक शिवम कुमार सिंह ने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर ध्यान नही दें। अपनी सूझबूझ से वोट जरूर करें। सीएसडीसी के संजय कुमार ने कहा कि किसी भी हाल में अपना वोट जरूर करें। पुतुल फाउण्डेशन के सचिव मनीष वर्मा ने लोगों से मतदान करने की अपील की। मौके पर टीवी एंकर पूर्णिमा शर्मा, चैम्बर उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन एवं अन्य शामिल रहे ।

लोकतंत्र की मजबूती हेतु, अपना कीमती वोट अवश्य दें

अध्यक्ष की कलम से......

प्रिय बन्धुओं,

लोकसभा चुनाव हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने लोकतंत्र की मजबूती के लिए जहाँ मतदान हो चुके हैं, वहाँ अपना कीमती वोट अवश्य दिया होगा तथा जहाँ मतदान होना बाकी है, वहाँ के व्यवसायी बन्धुओं से अनुरोध है कि अपना मतदान अवश्य करें, साथ ही दूसरों को भी मतदान हेतु प्रेरित करें।

चैम्बर ने एडवांटेज सपोर्ट एवं पुतुल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 6 अप्रैल, 2019 को "आओ वोट करें" विषय पर सेमिनार आयोजित किया जिसमें मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से वोट अवश्य देने की अपील की गयी।

पटना स्मार्ट सिटी पर चैम्बर प्रांगण में 18 अप्रैल, 2019 को श्री अनुपम कुमार सुमन, प्रबन्ध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड–सह–नगर आयुक्त के साथ एक परिचर्चा हुई जिसमें स्मार्ट सिटी के सम्बन्ध में सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी गयी।

पटना की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु चैम्बर में दिनांक 22.04.2019 को पुलिस अधीक्षक यातायात श्री अजय कुमार पाण्डेय, आई0पी0एस0 के साथ एक बैठक आयोजित हुई। उपर्युक्त बैठकों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

लोक सभा चुनाव में जीत भले ही किसी भी दल की हो, लेकिन वित मंत्रालय ने चालू वित वर्ष के लिए नई सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले आम बजट की तैयारी शुरू कर दी है। चालू वित वर्ष (2019–20) के लिए बजट जुलाई में पेश होगा। इसलिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सभी व्यापार एवं उद्योग संगठनों से आम बजट 2019–20 के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के दरों में बदलाव एवं टैक्स आधार को व्यापक बनाने के सम्बन्ध में सुझाव आमंत्रित किये हैं। अतः अपने सुझावों को भेजने का कष्ट करें।

सादर, आपका

पी. के. अग्रवाल

पटना स्मार्ट सिटी पर नगर आयुक्त के साथ चैम्बर में परिचर्चा

परिचर्चा को संबोधित करते पटना स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक-सह-नगर आयुक्त श्री अनुपम कुमार सुमन। उनकी बाँयीं ओर स्मार्ट सिटी लि० के सीईओ श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, वरीय प्रबंधक श्री अमन कुमार एवं मो० शाहीद तथा दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 18 अप्रैल, 2019 पटना स्मार्ट सिटी पर एक परिचर्चा आयोजित हुई जिसमें श्री अनुपम कुमार सुमन, प्रबन्ध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं उनकी टीम द्वारा पटना स्मार्ट सिटी के सम्बन्ध में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी ।

परिचर्चा में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, वरीय प्रबन्धक श्री अमन कुमार एवं मो0 शाहीद के साथ-साथ काफी संख्या में इंजीनियर्स एवं कंसलटेंट की टीम ने भाग लिया।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पटनावासियों के लिए यह गौरव की बात है कि पटना का नाम भी स्मार्ट सिटी में जोड़ा गया है और इसके लिए केन्द्र सरकार धन्यवाद की पात्र हैं। हम सभी के लिए यह संतोष की बात है कि राज्य सरकार का पूरा महकमा इस कार्य को मूर्त्त रूप देने में लगा हुआ है और इसमें पटना नगर निगम की भूमिका अहम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री सुमन जी के मार्गदर्शन में यह कार्य बहुत ही सहजता से चल रहा है। उन्होंने नगर आयुक्त को बताया कि दिनांक 25.3.2017 को पटना नगर निगम की ओर से तत्कालीन नगर आयुक्त श्री अभिषेक सिंह एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के बीच एक एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर हुआ था जिसके तहत पटना स्मार्ट सिटी में चैम्बर की ओर से महिलाओं के लिए कौशल विकास केन्द्र बनाने, सरकारी विद्यालय एवं झोपड़-पट्टी में बच्चियों के लिए सेनेटरी पैड डिसपेंसर लगाने, साईकिल शेयरिंग स्कीम एवं पानी का ए०टी०एम० लगाने की व्यवस्था करना है, उसके लिए चैम्बर तत्पर है।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने जानकारी मांगी कि पटना स्मार्ट सिटी में अदालतगंग एबीडी एरिया में काफी संख्या में झोपड़-पट्टी स्थित है। स्मार्ट सिटी के तहत् इसके विकास की क्या योजना है? स्मार्ट सिटी के तहत् शिक्षा एवं बच्चों के विकास की क्या योजना है? राजकीय विद्यालय तथा नगर निगम के विद्यालय के उन्नयन की क्या योजना है? पटना रेलवे स्टेशन के क्षेत्र में काफी संख्या में छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, रेलवे स्टेशन के विकास के लिए कौन से एरिया को चिन्हित किया गया है, साथ ही काफी संख्या में जो बड़े एवं छोटे शोरूम है, उनके लिए क्या योजना है? वीरचन्द पटेल मार्ग के पुनरूत्थान का कार्य कब से प्रारम्भ किया जाएगा, बाकरगंज एवं मंदिरी नाला

पटना स्मार्ट सिटी लि० के प्रबंध निदेशक-सह-नगर आयुक्त श्री अनुपम कुमार सुमन को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर। साथ में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं सीईओ श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी।

पटना स्मार्ट सिटी लि० के सीईओ श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी को बूके देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। साथ में पटना स्मार्ट सिटी लि० के प्रबंध निदेशक श्री अनुपम कुमार सुमन

का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा, स्मार्ट नेटवर्क एवं समेकित यातायात नेटवर्क प्रणाली क्या है? इसे कैसे पूरा किया जाएगा एवं स्मार्ट रोड नेटवर्क क्या है और इसमें पटना का कौन-कौन सा क्षेत्र आएगा? इसमें कंकड़बाग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी एवं गर्दनीबाग को समाहित किया गया है या नहीं? इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा योजना क्या है?

श्री अनुपम कुमार सुमन, प्रबन्ध निदेशक, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने अपने सम्बोधन में बताया कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पटना के चयनित क्षेत्रों के लिए है, परन्तु पटना के प्रत्येक वार्ड में वेंडिग जोन, कम्यूनिटी हॉल एवं कॉमन सेन्टर होगा जहाँ पर सारी सुविधाएं होगी। नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में अलग-अलग एजेंसियाँ कार्यरत हैं। फलस्वरूप निगम ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है। शहर में बेतरतीब काम करने वाले एजेंसियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। विभागों एवं एजेंसियों को नोटिस भेजा गया है, जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि पटना शहर एक घर जैसा है जिसके कई स्वामी है।

उन्होंने कहा पटना में 100 कॉलोनियों को चिन्हित कर स्मार्ट बनाया जायेगा और स्कूलों को पहचान कर उसे भी स्मार्ट बनाया जायगा। क्षेत्रों में कूड़े का उठाव दुकान बन्द होने के बाद रात में या सुबह होगा। दुकानदार पूरे दिन का कूड़ा डस्टबीन में रखकर उसे रात में दुकान के बाहर रख देंगे। सफाई गाड़ी इस कूड़े को उठा लेगी। शहर की प्रमुख सब्जी मंडियों में दो टिपर गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। पोल पर झूलते बिजली के तारों को भूमिगत (Underground) किया जायेगा। इसके लिए फाइवर तार का उपयोग किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत हो रहे कार्य एक साल के भीतर धरातल पर आसानी से दिखने लगेंगे। यहाँ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के शहरों की झलक दिखेगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर दुकानों के आगे लगे 'सेल्फ साइनेज बोर्ड' को हटाना गलत और गैर-कानूनी है। शहर के व्यवसायियों के साथ ज्यादती की गई है। पटना नगर निगम ने अपने किसी भी कर्मचारी को इसकी इजाजत नहीं दी है। सेल्फ साइनेज बोर्ड हटाने का अभियान नहीं चलाया गया है। नगर आयुक्त ने व्यवसायियों से कहा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसका विरोध करें, मेरे पास लिखित शिकायत करें। इसकी जाँच करायी जायेगी। इस कार्य में संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

व्यापारियों ने कहा कि सेल्फ साइनेज बोर्ड के नाम पर उनसे एक लाख रूपये तक जुर्माना वसूला जाता है, जबकि वाणिज्य-कर विभाग ने दुकान के आगे बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। जुर्माने से बचने के लिए बोर्ड हटाना पड़ता है। आखिर व्यवसायी क्या करे?

नगर आयुक्त ने बताया कि प्रदूषण के मद्देनजर सड़कों को चयनित कर आबादी के अनुसार हर सड़क पर ई-रिक्शा चलायी जायेगी। पहले चरण में 8.15 करोड़ से 500 करोड़ ई-रिक्शा खरीदी जायेगी। इसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। नगर निगम जिन जगहों को अतिक्रमण मुक्त कर रहा है, वहाँ के विस्थापितों को बसाया भी जा रहा है।

अदालतगंज तालाब का विकास आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में किया जायेगा। पटना जंक्शन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। सभी दुकानदारों को उनके दुकान के क्षेत्रफल के अनुसार जगह दी जायेगी। नगर आयुक्त ने आगे बताया कि गांधी मैदान में लगेगी स्क्रीन जिसका उपयोग विभिन्न अवसरों पर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि दुनियां के अधिकांश देशों में इस तरह की स्क्रीन लगायी जाती है।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत राजधानी के मंदिरी एवं बाकरगंज नालों का विकास किया जायेगा। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जायेगा।

सुरक्षा की दृष्टि से स्मार्ट सिटी योजना के तहत् राजधानी में 3500 सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे। ये कैमरे शहर के हर वार्ड में लगेंगे। इसके अलावा हर वार्ड में जन-सेवा केन्द्र खोले जायेंगे। राजधानीवासियों को निगम सम्बन्धी कार्य हेतु वार्ड से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि कमला नेहरू स्लम बस्ती का 188 करोड़ से विकास होगा। रैन बसेरा की जगह अब 15 नाइट सेंटर का निर्माण किया जायेगा। जहाँ रात्री में ठहरने की व्यवस्था होगी साथ ही सस्ते दर पर भोजन की भी व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त पटना के प्रत्येक वार्ड में वेंडिंग जोन, पार्किंग जोन, कम्युनिटी हॉल एवं कॉमन सेंटर की व्यवस्था होगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि न्यू मार्केट एवं पटना जंक्शन क्षेत्र के पुराने दुकानों को तोड़ कर वहाँ कॉमर्शियल कम्पलेक्स बनाया जायेगा जिसमें 700 दुकानें होंगी। इस दौरान किसी दुकानदार को विस्थापित नहीं किया जायेगा। दुकानदारों को पहले से अधिक बड़ी दुकानें मिलेगी। अत: इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी न्यू मार्केट शहर की शान हुआ करती थी, आज स्थिति उसके विपरीत है। कारोबार की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

इस अवसर पर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के टीम द्वारा स्मार्ट सिटी का कार्य कैसे एवं किस प्रकार से होगा इसकी विस्तृत जानकारी पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से दिया गया।

बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सुनील सराफ, श्री विनोद कुमार, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री उत्पल सेन, श्री जी. पी. सिंह, श्री राजेश जैन, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री सच्चिदानन्द के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी, व्यवसायी एवं प्रेस बन्धु उपस्थित थे।

धान्यवाद ज्ञापन महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

पटना की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ चैम्बर प्रांगण में बैठक

बैठक को संबोधित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर। उनकी बाँयीं ओर एस.पी. ट्रैफिक श्री अजय कुमार पाण्डेय, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 22 अप्रील 2019 को पटना की यातायात व्यवस्था पर विचार-विमर्श हेतु उद्यमियों एवं व्यवसायियों की एक बैठक श्री अजय कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ हुई।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि पटना की यातायात व्यवस्था को सहज बनाने में सबसे बड़ी बाधा अनाधिकृत रूप से सड़कों के किनारे वेंडरों द्वारा लगाए जाने वाला ठेला एवं अवैध पार्किंग है। साथ ही इसके स्थायी समाधान के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक यातायात से सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय कमिटी बनाकर संयुक्त रूप से पहल करने का सुझाव दिया क्योंकि इसमें कई विभागों की भूमिका होती है।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कमार जैन ने चैम्बर की ओर से पटना की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रमुख सुझाव दिया जो निम्नलिखित है - पटना जंक्शन गोलम्बर के साथ-साथ इसके पूरब चिरैयाटाड़ पुल एवं पश्चिम में जी०पी०ओ० गोलम्बर तक बराबर यातायात बाधित रहने, पटना के प्राचीन मार्केट यथा- न्यू मार्केट, हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, बारी रोड, लालजी मार्केट, देवालय मार्केट, राजधानी मार्केट पूर्णरूपेण व्यवसायिक एरिया है परन्तु इस क्षेत्र में बराबर यातायात बाधित रहने के कारण इस व्यवसायिक एरिया का व्यापार पूर्णरूपेण बाधित हो रहा है जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल व्यवसायियों पर पड़ रहा बल्कि इसका प्रभाव सरकार के राजस्व पर भी पड़ रहा है, सिटी राइड बसों एवं ऑटो रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया जाए, अनियंत्रित रूप से परिचालित दो पहिया वाहनों पर सख्ती बरती जाए, शहरी क्षेत्र में वाहनों की अनियमित परिचालन, अवैध पार्किंग पर रोक लगाने हेतु सघन जाँच अभियान निरन्तर रूप से चलायी जाए, यातायात को सुचारू एवं सहज बनाने हेतु यह आवश्यक है कि साईकिल रिक्शा का पटना के प्रमुख मार्गों पर परिचालन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ई-रिक्सा के चलाने हेतु लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होने के कारण आये दिन इसकी संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसा देखा जा रहा है बहुत कम उम्र के लड़के इसे चला रहे हैं जिन्हें यातायात नियमों की कोई जानकारी नहीं होती जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। अत: इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। रोड के किनारे में

एस०पी० ट्रैफिक श्री अजय कुमार पाण्डेय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

अनाधिकृत वेंडरों के कारण यातायात बाधित होती है, अत: यातायात को सहज बनाने हेतु अनाधिकृत वेंडरों को स्थायी रूप से हटाया जाना चाहिए एवं अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के समाधान हेतु नियमित रूप से छ: माह से लेकर एक साल तक अभियान चलाना चाहिए ताकि दुबारा अतिक्रमण न हो।

पुलिस अधीक्षक यातायात ने अपने संबोधन में कहा कि शहर में आधुनिक ट्रैफिकिंग सिग्नल लगाया जा रहा है जिसमें टाईमर लगा होगा। उन्होंने कहा कि पटना ट्रैफिक के संबंध में 5 साल का एक विजन सरकार को दिया गया है। पटना में कुछ स्थानों को चिह्नित कर उसे पार्किंग हेतु दे दिया जायेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। गाँधी मैदान के नीचे यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ एक भूमिगत पार्किंग के साथ मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण की योजना है। इसके अतिरिक्त पटना में ट्रैफिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्युट खोलने के लिए विभाग के पास एक प्रस्ताव भेजा जायेगा।

उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ सड़कों पर अक्सर जाम लगता है, उन जगहों की पहचान कर, व्यवसायी एस.पी. ट्रैफिक कार्यालय में आकर सुझाव दे सकते हैं। कहाँ-कहाँ सड़क वन-वे होनी चाहिए, इसके लिए भी सुझाव दे सकते हैं। ई-रिक्सा को भी नियंत्रित करने की बात कही।

उन्होंने बताया कि जंक्शन गोलम्बर से जी.पी.ओ. तक ट्रैफिक जाम की

समस्या हमेशा रहती है। जल्द ही जंक्शन के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। अतिक्रमण के दौरान पकड़े गये समानों को जब्त किया जायेगा। यह अभियान शहर के विभिन्न क्षेत्र में चलेगा। अवैध पार्किंग और वेंडर के विरूद्ध अभियान चलेगा।

श्री पाण्डेय ने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके कारण भी कुछ स्थानों पर यातायात बाधित होने की समस्या है। शहर में नमामि गंगे के अतिरिक्त गैस परियोजनाएँ चल रही है। इनके कार्य को लेकर भी कई जगह सड़क खोद दिया गया है। इन स्थानों पर यातायात जाम की समस्या है। जाम की स्थिति में सुधार हेतु हम वैकल्पिक समाधान कर रहे हैं।

यातायात समस्या को लेकर वाहन चालकों को भी जागरूक होने की जरूरत है। जब लोग जागरूक हो जायेंगे तो ट्रैफिक की समस्या स्वत: समाप्त हो जायेगी। राजधानी में प्रदूषण उगल रही नगर सेवा की बसों को रोक पाना यातायात पुलिस के बस की बात नहीं है क्योंकि प्रदूषण मापने का कोई तकनीक पुलिस के पास नहीं है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है। समय-समय पर वाहन चेकिंग के दौरान नगर सेवा बसों के पास प्रदूषण का जो लाइसेंस होता है वह एक-दो सप्ताह पूर्व का जारी होता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कानूनन कुछ नहीं कर पाती है। इसके लिए प्रदूषण विभाग जिम्मेवार है। आखिर बर्षों पुरानी बसों का प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण-पत्र कैसे जारी किया जा रहा है, यह जाँच का विषय है।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहर में निर्धारित बस स्टॉप के पास ही यात्रियों को चढ़ाना या उतारना अनिवार्य है। बीच रास्ते में यात्रियों को चढ़ाते/उतारते पकड़े जाने पर चालकों और खलासी पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा और फाईन भी किया जायेगा। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनायी जायेगी, जो केवल बसों के परिचालन पर ध्यान रखेगी। प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर उनके वाहनों/समानों को जब्त किया जायेगा।

बैठक में जब महात्मा गाँधी सेतु पर छह चक्के वाहन के परिचालन के प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिबंध केवल भवन निर्माण सामग्रियों से लदे छह चक्के वाहनों पर है। अन्य किसी सामग्री को लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमलोग पूरी तत्परता से यातायात के सुचारू आवागमन के लिए लगे हैं परन्तु इसमें पब्लिक सपोर्ट भी अपेक्षित है। साथ ही वन-वे के लिए सुझाव भी मांगा।

बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन के साथ-साथ कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सुनील सराफ, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री उत्पल सेन, श्री जी० पी० सिंह, श्री राज कुमार, श्री राजेश जैन, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री सच्चिदानन्द, श्री राजकुमार सराफ, श्री बिनोद पाठक, श्री एम० एस० भारद्वाज के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यसायी बैठक में सम्मिलित हुए एवं अपना-अपना सुझाव दिया।

श्री अमित मुखर्जी, महामंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।

वाणिज्य कर विभाग ने संग्रह किया 25500 करोड़ का राजस्व, पिछले साल की तुलना में 26% अधिक

राज्य वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 25500 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 26 फीसदी अधिक है। पिछले साल 20277 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ था। हालांकि, निधारित राजस्व संग्रह लक्ष्य की तुलना में 1500 करोड़ रुपए कम है।

सीजीएसटी में लक्ष्य से 13% अधिक राजस्व संग्रह हुआ : केन्द्रीय मॉल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) प्रशासन बिहार ने वित्तीय 2018-19 में पिछले साल की तुलना में 13 फीसदी अधिक राजस्व संग्रह किया है। इस दौरान सीजीएसटी को 10460 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया गया था, जबकि लक्ष्य की तुलना में 1368 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व संग्रह किया है। यानी इस वित्तीय वर्ष में कुछ 11828 करोड़ रुपया संग्रह हुआ। सीजीएसटी आयुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि अगर पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2017-18 (जुलाई 2017) के बाद मासिक संग्रह के आधार पर तुलना करें तो यह 36 फीसदी के करीब अधिक होता है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 1.4.2019)**

रुपया 1.6 लाख करोड़ के रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से सरकार का लक्ष्य पूरा हुआ

जीएसटी संग्रह चालू वित्त वर्ष के आखिरी महीने मार्च में बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया। इस के साथ ही 2018-19 में जीएसटी संग्रह 11.77 लाख करोड़ रुपये के स्तर को छू गया है। यह सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में जीएसटी के लिए निर्धारित 11.47 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है। मार्च का संग्रह देश में जीएसटी लागू होने के बाद यह अब तक की सबसे अधिक मासिक वसूली है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 2.4.2019)**

2 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी भी अब भर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट

ऐसे कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर दो करोड़ रुपए से अधिक है वे अब वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। जीएसटी नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर इसका फॉर्मेट मुहैया करा दिया है। देश में जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसके पहले वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट कारोबारियों को 30 जून तक दाखिल करना है। सरकार ने 31 दिसम्बर 2018 को एनुअल रिटर्न के फार्म- जीएसटीआर- 9, जीएसटीआर- 9ए और जीएसटीआर- 9सी नोटिफाई किए थे। मार्च में इन्हें भरने की तारीख तीन माह बढ़ाकर 30 जून 2019 कर दी थी। जीएसटीएन ने जीएसटीआर- 9सी रिटर्न फॉर्म ऑफलाइन भी उपलब्ध कराया है। करदाता इसे भरकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड सभी करदाताओं के लिए जीएसटीआर -9 सालाना रिटर्न है। जीएसटीआर- 9ए रिटर्न कंपोजिशन स्कीम चुनने वाले करदाताओं के लिए है। जीएसटीआर- 9सी एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सत्यापित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसे एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करना आवश्यक है। **(दैनिक भास्कर, 16.4.2019)**

चेक पोस्टों पर ऑनलाइन होगी इंट्री टैक्स की वसूली

• दूसरे राज्यों से आये अस्थायी परमिट वाले वाहनों से वसूला जायेगा यह टैक्स • परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया, वाहनों की जांच में पकड़ाये तो ई चालान से होगी जुर्माने की वसूली • पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दालकोटा चेकपोस्ट, पूर्णिया को किया गया है ऑनलाइन • इस माह के अंत तक अन्य सभी चेक पोस्टों पर शुरू हो जायेगी यह व्यवस्था।

अब दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले अस्थायी परमिट वाले वाहनों का इंट्री टैक्स चेक पोस्टों पर ऑनलाइन लिया जायेगा। इसकी प्रकिया शुरू की जा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद चेकपोस्टों पर मैनुअली मनी रसीद का उपयोग नहीं किया जायेगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी चेक पोस्ट पर ऑनलाइन इंट्री टैक्स भुगतान की व्यवस्था शुरू की जा रही है। ऑनलाइन भुगतान के लिए एनआईसी के द्वारा वेब मॉड्यूल विकसित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दालकोटा चेकपोस्ट, पूर्णिया का चयन कर ऑनलाइन इंट्री टैक्स की शुरुआत की गई हैं। अप्रैल, 2019 तक बिहार के अन्य सभी चेक पोस्टों-नवादा, गया, भभुआ और गोपालगंज में भी ऑनलाइन इंट्री टैक्स भुगतान की व्यवस्था शुरू कर दी जायेगी। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 11.4.2019)**

आयकर, सेवा कर रिटर्न में अंतर की होगी जाँच

राजस्व विभाग ने कर अधिकारियों से कंपनियों के आयकर रिटर्न और सेवा कर रिटर्न के बीच अंतर की जाँच करने को कहा है। कर अधिकारियों से

कंपनियों के सेवाओं से प्राप्त कारोबार के मामले में आयकर और सेवा कर रिटर्न के बीच अंतर का पता लगाने को कहा गया है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास ने क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा है कि वित्त वर्ष 2015-16 के कारोबार के संदर्भ में आयकर रिटर्न / स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के आंकड़ों एवं उसके अनुरूप सेवा कर रिटर्न में सेवाओं के घोषित मूल्यों के तहत 12 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। वित्त वर्ष 2016-17 के विवरणों में भी यह अंतर पाया गया है। इस बारे में आंकड़े क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किए गए हैं। दास ने कर अधिकारियों से आंकड़ों को सत्यापित करने तथा इस बारे में सीबीआईसी को रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने कहा, 'यह बड़ा अंतर राजस्व नुकसान का संकेत देता है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।' **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 9.4.2019)**

ई-वे बिल की खामी दूर करने की तैयारी

कुछ ई-वे बिल के आंकड़ों में विसंगति पाए जाने के बाद केन्द्र अब जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के और आंकड़े को खंगालने में लग गया है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि यदि आंकड़ों में विसंगति के मामले एक हद से अधिक पाए जाएंगे, तो एक इनवॉयस पर एक से अधिक ई-वे बिल जेनरेट करने की सुविधा खत्म करने पर विचार किया जा सकता है।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.4.2019)

आयकर रिटर्न फॉर्म्स की अधिसूचना जारी 'सहज' में बदलाव नहीं

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत और कंपनियों के स्तर पर भरे जाने वाले आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। आयकर रिटर्न-1 या सहज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फॉर्म को वेतनभोगी वर्ग द्वारा भरा जाता है। वहीं आइटीआर 2, 3, 5, 6 और 7 के कुछ खंडों को तर्कसंगत बनाया गया है। व्यक्तियों तथा कंपनियों को 2018-19 में हुई आय की जानकारी देते हुए चालू वित्त वर्ष में रिटर्न भरना होगा। आइटीआर-1 जिन लोगों की सालाना आय 50 लाख रुपए तक है और यह आय वेतन, एक मकान से और ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से तथा 5,000 रुपये तक कृषि आय से है, उन्हें आइटीआर-1 में अपनी आय का ब्योरा भरना होता है। आइटीआर-2 उन व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) द्वारा भरा जाता है जिनकी आय व्यापार या पेशे में हुए लाभ से नहीं जुड़ी होती है। आइटीआर-3 उन लोगों और एचयूएफ द्वारा भरा जाता है जिनकी आय व्यापार या पेशे से प्राप्त लाभ के जरिए होती है। आइटीआर-4 यानी सुगम उन लोगों या एचयूएफ अथवा कंपनियों के लिए है, जिनकी आय 50 लाख तक है तथा व्यापार एवं पेशे से प्राप्त अनुमानित आय दिखाते हैं। आइटीआर -3 और आइटीआर-6 (कंपनियों) में जीएसटी के लिए दिखाए गए कुल कारोबार / सकल प्राप्ति दिखानी होगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 6.4.2019)

परिवहन विभाग में लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली

राजस्व वसूली के मामले में परिवहन विभाग ने लंबी छलांग लगाई है। पिछले वित्तीय वर्ष के सभी रिकार्ड को तोड़ते हुए अन्य विभागों से परिवहन विभाग आगे बढ़ गया है। न सिर्फ राजस्व वसूली में एक नया रिकार्ड बनाया है, बल्कि विभिन्न अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेहतर और तय समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराकर लोगों में विश्वास जगाया है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 1620 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई थी। वहीं, वर्ष 2018-2019 में 2070 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई है। इस तरह से पिछले साल की तुलना में परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। राजस्व वसूली में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। साथ ही ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़े अभियान के कारण कर संग्रहण में वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में परिवहन राजस्व मात्र 1200 करोड़ था, जो मात्र दो वर्ष में यह 2070 करोड़ तक पहुँच गया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.4.2019)**

अवैध लेन-देन की शिकायत वाट्सएप पर भी कर सकेंगे

सख्ती • आयकर विभाग ने जारी किया वाट्सएप नम्बर व ईमेल आईडी
• विभाग के कंट्रोल रूम में अब तक मात्र एक ही शिकायत आई

लोकसभा चुनाव में अवैध लेन-देन की शिकायत आयकर विभाग वाट्सएप नंबर और के ईमेल पर भी कर सकते हैं। कोई भी नागरिक अवैध लेन-देन की शिकायत वाट्सएप नंबर 6200965894 व ईमेल आईडी bihar.nodal.clection2019@incometax.gov.in पर दर्ज करा सकते है। शिकायत दर्ज करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.4.2019)**

पूमरे ने माल लदान व आय में हासिल किया नया कीर्तिमान

वर्ष 2018-19 में पूर्व मध्य रेल द्वारा माल लदान एवं उससे प्राप्त आय में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करते हुए भारतीय रेल के सभी क्षेत्रीय रेलों में इस दृष्टिकोण से वर्ष 2018-19 में लदान एवं आय में प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से पूमरे ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पूमरे द्वारा वर्ष 2018-19 में 137.38 मीलियन टन का लदान किया गया जो पिछले वित्तीय वर्ष (वर्ष 2017-18) में किए गए 128.63 मीलियन टन की तुलना में 8.75 मीलियन टन ज्यादा है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में माल लदान में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो भारतीय रेल के 100 मीलियन टन लदान करने वाले क्षेत्रीय रेलों के क्लब में प्रतिशत वृद्धि के दृष्टिकोण से दूसरा है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में 15860.57 करोड़ रुपये की प्रारंभिक आय प्राप्त हुई जो पिछले वित्तीय वर्ष (वर्ष 2017-18) के 13354.08 रुपये की तुलना में 2506.49 करोड़ रुपये ज्यादा है। वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में आय के क्षेत्र में 18.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो भारतीय रेल के 100 मीलियन टन लदान करने वाले क्षेत्रीय रेलों के क्लब में प्रतिशत वृद्धि के दृष्टिकोण से दूसरा है। माल लदान में इस वृद्धि में सर्वाधिक योगदान धनबाद मंडल का है। पूमरे के सभी मंडलों में से अकेले धनबाद मंडल द्वारा वर्ष 2018-19 में 132 मीलियन टन माल लदान किया गया जो पिछले वित्त वर्ष में किए गए 123.3 मीलियन टन की तुलना में 8.7 मीलियन टन ज्यादा है। इस प्रकार धनवाद मंडल द्वारा वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में माल लदान में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो 100 मीलियन टन लदान करने वाले भारतीय रेल के चार मंडलों में प्रथम है। इन लदानों से 12721 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई वह गत वर्ष प्राप्त आय 12148 करोड़ रुपये की तुलना में 2554 करोड़ रुपये अधिक है। भारतीय रेल के 100 मीलियन टन लदान करने वाले मंडलों के वलब में 20.1 प्रतिशत के साथ धनबाद मंडल प्रथम स्थान पर रहा। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.4.2019)**

तीन साल की देरी के बाद फ्लैट लेने को मजबूर नहीं उपभोक्ता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लैट खरीदारों और बिल्डर के बीच होने वाले अनुबंध एकतरफा होते है। कानून की नजर में यह अनुचित व्यापार के दायरे में आते हैं। फ्लैट के निर्माण में अनावश्यक देरी के बाद फ्लैट खरीदार को अपार्टमेंट्स पर कब्जा लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। बिल्डर को रेरा के नियमों के अनुसार उपभोक्ता की जमा राशि पर ब्याज सहित रकम लौटानी होगी। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 4.4.2019)**

ई-सिगरेट पर बिहार में भी प्रतिबंध, आदेश जारी

खरीद-बिक्री, विज्ञापन, निर्माण भडारण और वितरण पर पूरी तरह रोक, आदेश का उल्लंधन करने पर लगेगा जुर्माना

राज्य सरकार ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अब ई-सिगरेट को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। बिहार देश का आठवाँ राज्य हो गया है जहाँ ई-सिगरेट खरीद-बिक्री (ऑनलाइन सहित), विज्ञापन, निर्माण, भंडारण, वितरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि ई- सिगरेट के साथ-साथ वैसे निकोटीन युक्त उत्पाद जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा।

क्या है ई-सिगरेट : ई-सिगरेट ऐसा यंत्र है जो देखने में साधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक बैटरी और एक कारट्रिज होती है। कारट्रिज में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है जो बैट्री की सहायता से गर्म होकर निकोटीन युक्त भाप देता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.4.2019)**

ई-सिगरेट आयात पर रोक का कानूनी आधार नहीं'

वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि वह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के आयात पर रोक नहीं लगा सकता है क्योंकि ऐसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। सरकार के एक आंतरिक प्रपत्र में ऐसा कहा गया है। रॉयटर्स ने भी इसे देखा है। इससे देश में धूम्रपान के उपकरणों के बढ़ते बाजार में आने पर विचार करने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी तरफ देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बार-बार प्रतिबंध की मांग की जाती रही है। पिछले साल एक परामर्श में धूम्रपान वाले उपकरणों को स्वास्थ्य के प्रति बड़ा खतरा मानकर चेतावनी दी गई थी तथा इनकी बिक्री और आयात रोकने के प्रयास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्यों और सरकारी एजेंसियों से आग्रह किया गया था।

सरकार के 18 मार्च के इस आंतरिक प्रपत्र के अनुसार भारत में ई-सिगरेट का आयात रोकना विश्व व्यापार संगठन के साथ बहुपक्षीय वायदे के खिलाफ होगा। इसमें कहा गया है कि देश को पहले केन्द्रीय कानूनों के माध्यम से स्थानीय बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाए तो फिर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) आयात प्रतिबंध की घोषणा कर सकता है। आयात पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति रखने वाले वाणिज्य मंत्रालय ने इस प्रपत्र में कहा है कि अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श किसी प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार नहीं माना जा सकता है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.4.2019)**

एयरपोर्ट पर रुपये-जेवर मिले तो नहीं छोड़ना पड़ेगा विमान

विमान से उतरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले आयकर विभाग की टीम को हिसाब नहीं देने पर होगी जब्ती

अगर कोई एयरपोर्ट पर बेनामी रुपये और जेवर अथवा कीमती धातु के साथ पकड़ा जाता है तो विमान नहीं छोड़ना पड़ेगा। गंतव्य पर आयकर विभाग की टीम हिसाब लेगी। यदि सक्षम कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तो जब्ती की कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआइएसएफ और विमानन कंपनी को चुनाव में काले धन के उपयोग रोकने के लिए आयकर विभाग के साथ मिलकर कार्य करने का आदेश दिया है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 11.4.2019)

ईंट-भट्ठा श्रमिकों की समस्या समाधान के लिए बनेगी कमेटी

श्रम संसाधन विभाग में अधिकारियों की बैठक में लिया निर्णय

ईंट-भट्ठा मजदूरों की समस्या समाधान के लिए त्रिपक्षीय कमेटी बनाई जाएगी। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में श्रमिक संघों, ईंट निर्माता संघ और विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक ईंट निर्माण से जुड़े नियोजक, श्रमिक प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी त्रिपक्षीय कमेटी में रहेंगे। यह कमेटी सरकार को ईंट-भट्ठों में कार्यरत श्रमिकों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण से संबंधित परामर्श देगी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 5.4.2019)**

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऑनस्पॉट चालान

ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक अब बच नहीं पाएंगे। यातायात नियमों का कहाँ कितनी बार उल्लंघन किया, वाहन का इंश्योरेंस फेल है, प्रदूषण जाँच सर्टिफिकेट नहीं है, टैक्स डिफॉल्टर हैं और बिना परमिट वाहन चला रहे हैं, आदि तमाम जानकारियाँ गाड़ी का नंबर डालते ही हैंड हेल्ड डिवाइस बताएगी। साथ ही ऑन स्पॉट चालान कटेगा और उसका भुगतान करना होगा।

पटना में बदलाव : • बार-बार नियमों का उल्लंघन किया तो रद्द होगा लाइसेंस • गाड़ी व डीएल नंबर डालते ही मिलेगी वाहन की जानकारी

हैंड हेल्ड डिवाइस के फायदे : • गाड़ी या चेसिस नंबर डालते ही वाहन की जानकारी मिल जायेगी • वाहन चेकिंग के दौरान दोबारा पकड़े जाने पर ऑटोमेटिक दोगुना फाइन लग जायेगा • जुर्माने की राशि ऑन स्पॉट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जमा होगा • वाहन जाँच में पकड़े गए और बिना जुर्माना जिए भाग गए तो भी नहीं बच सकेंगे • वाहन टैक्स जमा करने या फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के दौरान पेंडिंग जुर्मान की वसूली • वाहन जाँच के दौरान वाहन चालक या वाहन का फोटो लेने की भी डिवाइस में है व्यवस्था।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.4.2019)

चुनाव कार्य के लिए निजी वाहनों को जब्त नहीं करेगा प्रशासन

जिले में लोकसभा चुनाव के लिए निजी बोलेरो, सुमो, स्कॉर्पियो समेत अन्य निजी गाड़ियों को जिला प्रशासन जब्त नहीं करेगा। डीएम कुमार रवि ने कहा कि वाहन मालिकों से चुनाव कार्य के लिए व्यावसायिक वाहनों को स्वेच्छा से देने की अपील की गई है। चुनाव कार्य के लिए गाड़ियाँ देने वाले मालिकों को दैनिक मुआवजा ससमय दिया जाएगा। मुआवजा लेने के लिए किसी को परेशानी नहीं होगी। निजी गाड़ियों को चुनाव कार्य के लिए जब्त नहीं किया जाएगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 11.4.2019)

जंक्शन से 16 किमी तक के लिए 24 घंटे मिलेगा ऑटो

पटना जंक्शन से शहर के किसी भी मोहल्ला में जाने के लिए 6 जी प्रीपेड कॉल ऑटो की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 24 घंटे मिलेगी। जंक्शन से 16 किलोमीटर दूरी तक जाना हो तो इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 8409352222 पर कॉल करना होगा।

पटना जंक्शन से विभिन्न जगहों पर आने-जाने का किराया

जगह	भाड़ा
डाक बंगला	50 रुपए
पीएमसीएच	100 रुपए
राजा बाजार पारस हॉस्पिटल	150 रुपए
श्याम मंदिर या सैदपुर	130 रुपए
राजेन्द्र नगर टर्मिनल	90 रुपए
सालिमपुर अहरा	110 रुपए
साइंस कॉलेज	120 रुपए
राजवंशी नगर	120 रुपए
मीठापुर बी एरिया	120 रुपए
बोरिंग रोड पानी टंकी	130 रुपए
न्यू पाटलिपुत्र, हनुमान नगर पानी टंकी	130 रुपए
सुलतानगंज या भूतनाथ रोड	140 रुपए
बेली रोड हनुमान मंदिर या चिड़ियाघर	110 रुपए
गोलघर, नागेश्वर कॉलोनी और बोरिंग चौराहा	90 रुपए

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 11.4.2019)

पटना-बख्तियारपुर का सफर हुआ महंगा

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बढ़ाया टोल टैक्स : पटना से बख्तियारपुर कार से जाना अब महँगा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर सफर करने वालों पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है।

यह फोर लेन सड़क 46 किलोमीटर लंबी है। कार, जीप और वैन द्वारा इस सड़क से गुजरने पर अब आपको 90 की जगह 100 रुपए टोल टैक्स देना होगा। 24 घंटे के दौरान अप-डाउन के लिए 145 की जगह 150 रुपए देने होंगे। टोल टैक्स की नई दर प्रभावी हो गई है।

बस-ट्रक को लगेंगे 305 रुपए : मिनी बसों के लिए एक तरफ का टैक्स 155 रुपये और अप-डाउन के लिए 230 रुपये है। बस और ट्रक को एक तरफ के लिए 305 रुपये और दोनों ओर के लिए 460 रुपये टैक्स चुकाना होगा। भारी वाहनों को एक तरफ के लिए 465 रुपये और दोनों ओर के लिए 695 रुपये देने होंगे। भारी वाहनों को एक तरफ के लिए 610 रुपये और अप-डाउन के लिए 915 रुपये टैक्स चुकाना होगा, अप-डाउन का एक साथ टैक्स टोकन 24 घंटे के भीतर ही मान्य होगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 9.4.2019)**

क्या है 'प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग'?

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार बैंकों को अपने 'एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40 फीसद प्रायॉरिटी सेक्टर को उधार देना चाहिए

अक्सर आप खबर में 'प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग' के बारे में पढ़ते होंगे। इसका क्या अर्थ है और अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए इसका क्या मतलब है? 'जागरण पाठशाला' में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए समय पर समुचित ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ने 'प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग' यानी प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज के दिशा-निर्देश बनाए हैं। प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग के दायरे में कृषि, एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक क्षेत्र, रिन्युएबल एनर्जी और समाज के कमजोर वर्ग आते है। इसके तहत बैंकों को उनके 'एडजस्टेट नेट बैंक क्रेडिट' में से 40 फीसद राशि प्रायॉरिटी सेक्टर की उपलब्ध करानी होती है। इसमें से 18 फीसद कर्ज कृषि क्षेत्र में खासकर छोटे और मझोले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में मुहैया कराने होते हैं। फिर, छोटे उद्योगों को 7.5 फीसद और कमजोर वर्गों को 10 फीसद कर्ज देना होता है। कमजोर वर्गों में सेल्फ हेल्प ग्रुप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाताधारकों को मिलने वाली 10 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इसी वर्ग में आती है। इसी तरह 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन और महानगरों में 35 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन भी 'प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग' के दायरे में आता है। खास बात यह है कि घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ विदेशी बैंकों को भी उनके 'एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट' का कम से कम 40 फीसद प्रायॉरिटी सेक्टर को देना चाहिए। वैसे, विदेशी बैंकों को यह लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से 2020 तक हासिल करना है। यहाँ 'एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट' (एएनबीसी) का मतलब समझना भी जरूरी है। एएनबीसी में बैंक द्वारा देश में दिया गया शुद्ध कर्ज और सरकारी सिक्युरिटीज (नॉन-एसएलआर) के इतर किया गया निवेश शामिल है।

उल्लेखनीय है कि 'प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग' का विचार पिछली सदी में सातवें दशक में आया। वर्ष 1968 में नेशनंल क्रेडिट काउंसिल की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बैंकों को कृषि और लघु उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज मुहैया कराना चाहिए। इसके बाद 1972 में एक ग्रुप ने इस संबंध में सिफारिश की। आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने 1974 में बैंकों को कहा कि वे मार्च 1979 तक अपने कुल कर्ज का कम से कम 33 फीसद प्रायॉरिटी सेक्टर को बांटें। इसके बाद 1980 में सरकार और बैंकों की बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि मार्च 1985 तक बैंकों को अपने कर्ज का कम से कम 40 फीसद प्रायॉरिटी लेंडिंग के तहत मुहैया कराना होगा। रिजर्व बैंक ने 2011 में प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग पर एक समिति का गठन किया और इसकी सिफारिशों के आधार पर 2012 में दिशा-निर्देश जारी किए।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.4.2019)

क्या है 'रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स'

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल में कहा कि आरबीआइ जल्द ही एक 'रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स' स्थापित करेगा और दो माह में इसके दिशानिर्देश जारी कर दिये जाएंगे। 'रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स' क्या है? वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसका क्या मतलब है? जागरण पाठशाला में हम यही समझने की कोशिश करेंगे।

'रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स' की अवधारणा को समझने से पहले हम सैंडबॉक्स को समझते हैं। आपने देखा होगा कि रेत से भरे एक अहाते में छोटे-छोटे बच्चे खेलते-कूदते हैं, गिरते-संभलते हैं और तरह की आकृतियाँ बनाते हैं। वे खेल-खेल में ही काफी कुछ सीखते हैं। रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स ठीक उसी तरह काम करता है। जैसे बच्चे सैंडबॉक्स में खेल-खेल में अपनी रचनात्मकता को निखारते हैं उसी तरह रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स स्टार्ट-अप और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक कंपनियों को वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर नयी सेवाओं और उत्पादों के परीक्षण के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराता है। केन्द्रीय बैंक या सरकार रेग्युलेटरी सेंडबॉक्स स्थापित कर आवश्यक नियमन में ढिलाई देते हैं जिससे नई सेवाओं और उत्पादों का परीक्षण करना आसान हो जाता है।

हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। लंदन में प्रवासियों को उनके देश रकम ट्रांसफर करने की सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी 'वर्ल्डरेमिट' और तीन अन्य फिनटेक कंपनियों को मलेशिया के सेंट्रल बैंक 'बैंक नेगारा मलेशिया' ने मई 2017 में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स का इस्तेमाल कर दूरदराज इलाकों में ग्राहकों की पहचान के लिए एक सॉल्यूशन का परीक्षण करने की अनुमति दी। वर्ल्डरेमिट के पास जो तकनीक थी, उससे दूसरे देश के किसी दूरदराज इलाके में ग्राहक मोबाइल फोन पर अपनी सरकारी आइडी के साथ फोटो अपलोड कर देता था और कंपनी उसी आधार पर उसकी पहचान करती थी। यह प्रक्रिया पूरी होने पर उस ग्राहक के बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर दी जाती थी। मलेशिया में अगर रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स नहीं बनता तो प्रचलित नियमों के अनुसार उस कंपनी के लिए अपने इस सॉल्यूशन को आजमाना संभव नहीं था। रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स में सफल परीक्षण के बाद मलेशिया ने वर्ल्डरेमिट को उसकी इस सेवा को अपने यहाँ भी लागू करने की अनुमति दे दी। इसके बाद मलेशिया के सेंट्रल बैंक बीएनएम ने ई-केवाइसी दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया जिसके तहत अन्य कंपनियाँ भी इसी तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर समान सेवाएँ प्रदान कर सकतीं थीं। इस तरह बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली नई-नई कंपनियाँ रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स का इस्तेमाले कर नियमों की जटिलता में फंसे बगैर बेहद कम खर्च में अपने उत्पाद की व्यवहारिकता परख सकती हैं। उनका उत्पाद फायदे का सौदा है या नहीं, इसकी जाँच कर सकती हैं। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को फायदा होगा। कई देशों ने अपने फिनटेक क्षेत्र में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स बनाए हैं। सबसे पहले ब्रिटेन ने वर्ष 2015 में रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स स्थापित किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया में भी इस तरह के सैंडबॉक्स स्थापित किए गए। अब तक 20 से अधिक देशों में इस तरह के सैंडबॉक्स स्थापित हो चुके हैं। आस्ट्रेलिया ने मई, 2016 में सैंडबॉक्स के निर्देश जारी किए जिसके तहत योग्य फिनटेक कंपनियाँ वहाँ लाइसेंस प्राप्त किये बगैर ही अपनी सेवाओं का परीक्षण कर सकती हैं। भारत में फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग पर आरबीआइ के एक कार्यकारी समूह ने 2017 में एक रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स स्थापित करने का सुझाव दिया था।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.4.2019)

क्या है डेरिवेटिव, इसके कितने रूप हैं?

डेरिवेटिव के कई रूप हैं फ्यूचर कान्ट्रैक्ट, फारवर्ड कान्ट्रैक्ट, स्वैप और आप्शंस, डेरिवेटिव को एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है

अक्सर आप खबरों में डेरिवेटिव के बारे में पढते होंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या है और निवेशक व कंपनियाँ किस तरह इसका इस्तेमाल करती हैं? 'जागरण पाठशाला' में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

डेरिवेटिव दो या अधिक पक्षों के बीच हुआ एक सौदा है। यह सौदा एक ऐसी फाइनेंशियल असेट के लिए किया जाता है जिसका मूल्य किसी अन्य वस्तु से निकलता है- जैसे स्टॉक, बांड कमोडिटी, करेंसी और ब्याज दरें।

डेरिवेटिव को 'ओवर द काउंटर' या एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। डेरिवेटिव के कई रूप हैं। मसलन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप और आप्शंस। यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझना भी जरूरी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्ष किसी असेट को एक तय मूल्य पर भविष्य में किसी तारीख पर खरीदने और उसकी आपूर्ति करने का सौदा करते हैं। फ्यूचर कान्ट्रैक्ट को एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत की एक कंपनी 70 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से दिसम्बर, 2019 में कच्चा तेल खरीदने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। भारतीय कंपनी को लगता है कि आने वाले समय में कच्चे तेल का भाव बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस बीच कच्चे तेल का भाव बढ़कर 90 डॉलर प्रति बैरल हो जाता है। अगर भारतीय कंपनी को उस समय कच्चे तेल की जरूरत है तो वह उसकी

डिलिवरी ले लेगी। लेकिन यदि उसे लगता है कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने से पहले उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेच देगी और मुनाफा कमा लेगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग इसी सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कान्ट्रैक्ट में अंतर यह है कि फॉरवर्ड कान्ट्रैक्ट को एक्सचेंज पर नहीं बेचा जा सकता। कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में अधिकतर व्यवसायिक और संस्थागत कारोबारी शामिल होते हैं। आमतौर पर ये कारोबारी तीन प्रकार के होते हैं- हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स। हेजर्स वो कारोबारी होते हैं जिनकी रुचि वस्तु को खरीदने और उसकी आपूर्ति लेने में होती है। **(साभार : दैनिक जागरण, 15.4.2019)**

क्या है जीएसपी ?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारत को मिल रही टैरिफ रियायतों को बंद करने की योजना का एलान किया। जीएसपी क्या है ? भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात के लिए इसका क्या मतलब है? 'जागरण पाठशाला' में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

वर्ष 1974 में शुरू हुआ था जीएसपी कार्यक्रम, विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है मकसद

जीएसपी का मतलब है- जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज। यह अमेरिका का एक व्यापार कार्यक्रम है। इसकी शुरूआत ट्रेड एक्ट, 1974 के जरिये पहली जनवरी, 1976 से हुई थी। इसका मकसद व्यापार को बढ़ावा देकर विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत भारत सहित 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों से आयात होने वाले लगभग 4,800 उत्पादों को अमेरिका में ड्यटी-फ्री आयात किया जाता है। ड्यटी-फ्री होने के चलते अमेरिकी बाजार में विकासशील देशों के उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते हो जाते हैं। इसका फायदा भारत को भी मिल रहा है। भारत से कैमिकल, इंजीयरिंग उपकरण, लैदर, टैक्सटाइल सहित तकरीबन 1, 900 भारतीय उत्पाद जीएसपी के तहत निर्यात हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका अगर जीएसपी कार्यक्रम से भारत को बाहर कर देता है तो इन क्षेत्रों पर इसका असर पड़ना लाजिमी है।

जीएसपी कार्यक्रम एक निश्चित अवधि के लिए प्रभावी रहता है। इसका मतलब यह है कि जिस अवधि में यह प्रभावी रहती है, उसी अवधि में विकासशील देशों के उक्त उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी-फ्री आयात किया जा सकता है। मियाद बीतने पर उन पर ड्यूटी फिर से अपने-आप लागू हो जाती है। उदाहरण के लिए 31 जुलाई 2013 को जब इस कार्यक्रम की मियाद पूरी हुई, तो इसे दोबारा 29 जून 2015 तक ढाई साल के लिए आगे बढ़ा दिया। हालांकि जब इसे आगे बढ़ाया जाता है तो यह 'पूर्व-प्रभाव' से लागू होता है। इसका मतलब यह है कि जिस अवधि में जीएसपी लागू नहीं रहता, उस समय अगर कोई आयातक विकासशील देशों से सामान आयात करता है और उस पर ड्यूटी का भुगतान करता है तो बाद में जब जीएसपी को आगे बढ़ाया जाता है तब वह उसका रिफंड ले सकता है।

अमेरिका समय-समय इस कार्यक्रम के तहत आने वाले देशों की समीक्षा करता है। भारत को जीएसपी का लाभ मिलना चाहिए या नहीं पिछले साल इसकी समीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई। असल में जीएसपी कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए विकासशील देशों पर यह शर्त होती है कि वे अमेरिकी उत्पादों को समान रूप से न्यायोचित बाजार पहुँच मुहैया कराएँगे यानी अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजारों के दखाजे खोल देंगे। इसी शर्त को आधार बनाकर अमेरिका के दो संगठनों- नेशनल मिल्क प्रॉड्यूसर फेडरेशन और यूएस डेयरी एक्सपोर्ट काउंसिल ने अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के पास भारत की शिकायत करते हुए कहा कि उसने अमेरिकी डेयरी उत्पादों को उचित रूप से पहुँच मुहैया नहीं कराई है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब भारत को जीएसपी के तहत मिल रही सुविधा को निलंबित करने की योजना का एलान किया है।

यहाँ तक भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय कारोबार का सवाल है तो वित्त वर्ष 2017-18 में दोनों देशों के बीच कुल 74 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार हुआ था जिसमें 48 अरब डॉलर भारत से निर्यात था जबकि 26 अरब डालर वहाँ से आयात हुआ। अमेरिका को होने वाले भारत के कुल निर्यात में मात्र 5.6 अरब डॉलर ही जीएसपी के दायरे में है। इसलिए भारतीय निर्यातों पर इसका मामूली असर पड़ेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 11.3.2019)**

पटना नगर निगम का 364 करोड़ के लाभ का बजट

योजनाओं पर पिछली बार से आठ गुना खर्च

नगर आयुक्त ने कहा कि बजट क्रॉस सब्सिडाइजेशन माड्यूल पर आधारित है। बजट का उद्देश्य फायदा वाला बनाने का नहीं है। बजट का उद्देश्य नागरिक सुविधा संपन्न बनाना है। 2017-18 के बजट में विकास कार्यों पर 428 करोड़ और 2018-19 में 864 करोड़ की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था। वहीं 2019-20 के बजट में निगम ने विकास कार्यों पर 4064 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। पिछली बार की तुलना में 8 गुना ज्यादा योजनाओं पर खर्च करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि 2017-18 के बजट में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 428 करोड़ और 2018-19 में राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य 792 करोड़ रखा गया था। वहीं 2019-20 के बजट में 4428 करोड़ राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। यह बजट 364 करोड़ के फायदे वाला बजट है।

किस योजना के लिए कितनी राशि

आधारभूत सुविधाएँ	राशि
• सीएम नाली-गली योजना	348 करोड़
• कॉलोनी स्मार्ट रोड व नाला	600 करोड़
• जलापूर्ति	653.53 करोड़
• स्ट्रीट लाइट	15 करोड़
• प्लास्टिक आधारित संयंत्र	10.41 करोड़
• गुणवत्ता जाँच के लिए प्रयोगशाला	4 करोड़
• मल्टीलेवल पार्किंग	65 करोड़
• स्वागत द्वार	17.5 करोड़
• खेल का मैदान	10 करोड़
• फुटपाथ	61.56 करोड़
• गंगा रिवर फ्रंट	5 करोड़
नागरिक सुविधाएँ	
• सामुदायिक शौचालय	13 करोड़
• मॉड्यूलर शौचालय व मूत्रालय	25 करोड़
• पार्किंग	10 करोड़
• क्लब हाउस	30 करोड़
• पब्लिक लाइब्रेरी	20 करोड़
• ओपन जिम	37.5 करोड़
• फ्री वाईफाई क्षेत्र	37.5 करोड़
• चलंत चिकित्सालय व स्कूल	30 करोड़
• शवदाह गृह निर्माण	5 करोड़
• रेन वाटर हार्वेस्टिंग	1 करोड़
• टाउन हॉल	5 करोड़
वार्ड की विकास योजनाएँ	
• सामुदायिक भवन	75 करोड़
• रैनबसेरा	75 करोड़
• वेंडिंग जोन	150 करोड़
• पार्षद अनुशंसा	150 करोड़
सार्वजनिक-निजी साझेदारी वाले प्रोजेक्ट	
• बूचड़खाना	10 करोड़
• ट्रांसफर स्टेशन	20 करोड़
आवासीय व व्यावसायिक परियोजनाएँ पहला फेज	
• बेगमपुर अफोर्डेबल हाउसिंग	74.79 करोड़

• कमला नेहरू स्लम पुनर्विकास	94.21 करोड़
• शरीफगंज स्लम पुनर्विकास	38.3 करोड़
• एचआईजी हाउसिंग कॉलोनी	51 करोड़
• अवासीय भंवर पोखर	16.18 करोड़
• भंवर पोखर परिसर	25 करोड़
• आर्य कुमार रोड मॉल	44.28 करोड़
• राजेन्द्र नगर मॉल	75.99 करोड़
• रामपुर संप हाउस के समीप मॉल	10.34 करोड़
• पटना सिटी अंचल में कॉम्प्लेक्स	68.34 करोड़
• छात्रावास परियोजना	26 करोड़

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 6.3.2019)

३ लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लगेगी रोक!

ब्लैक मनी पर गठित एसआईटी ने सरकार के समक्ष कुछ सिफारिशें रखी हैं। यदि सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है तो लोग 3 लाख रुपए से अधिक का नकद लेन-देन नहीं कर सकेंगे। और ना ही 15 लाख रुपए से अधिक का कैश अपने पास रख सकेंगे। एसआईटी ने हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसके मुताबिक, एसआईटी ने सरकार ने कहा है कि ब्लैक मनी और उसके सोर्स पर लगाम के लिए कैश में मोटी रकम रखने या लेनदेन पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। (विस्तृत : आईनेक्स्ट, 3.3.2019)

मुद्रा योजना का लक्ष्य हासिल करने से पीछे बैंक

• लक्ष्य पाने के लिए एक माह में एक लाख करोड़ का कर्ज बांटना होगा • बैंकों ने 22 फरवरी तक केवल दो लाख करोड़ के ही कर्ज बांटे

मुद्रा लोन बांटने का लक्ष्य हासिल करने में बैंक काफी पीछे हैं। इस वित्त वर्ष में अब केवल एक माह ही बचा है, जबकि इस योजना के तहत 22 फरवरी तक दो लाख करोड़ रुपये का ही कर्ज बांटा गया है, जबकि, प्रति वर्ष तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटने का लक्ष्य है। सरकारी आंकड़ों में कहा गया कि है कि 22 फरवरी तक मुद्रा योजना के तहत कुल 2,02,668.9 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा गया है। इसके मुकाबले 2,10,759.51 करोड़ रुपये का कर्ज स्वीकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय के हालिया आंकड़ों में कहा गया कि इस वित्त वर्ष में अब तक 3.89 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण को मंजूरी दी गई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.3.2019)

परोक्ष करों का रिफंड भी अब ले सकेंगे निर्यातक

निर्यातक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अलावा अन्य परोक्ष करों का रिफंड भी ले सकेंगे। सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए एक नई योजना तैयार कर रही है जिसके अमल में आने पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूट पर वैट और स्टाम्प ड्यूटी जैसे परोक्ष करों का रिफंड मिल सकेगा। फिलहाल इन करों का रिफंड नहीं मिलता है।

बढ़े कदम : • योजना में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का रखा जाएगा पूरा ध्यान • अभी अन्य परोक्ष करों के कारण बढ़ जाती है निर्यातकों की लागत।

गारमेंट निर्यातकों को मिल रही है ऐसी सुविधा : माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए यह योजना शुरू कर सकती है। फिलहाल गारमेंट निर्यातकों को आरओएसएल यानी रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज योजना के रूप में इस तरह की सुविधा मिल रही है। यही वजह है कि अब बाकी क्षेत्रों को भी इसका लाभ देने की तैयारी हो रही है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.3.2019)

निर्बाध बिजली को आपूर्ति सिस्टम जल्द होगा दुरुस्त

एक अप्रैल से निर्बाध बिजली आपूर्ति को अमल में लाने पर बिजली कंपनी जुट गई है। इसके लिए आपूर्ति सिस्टम पर विशेष काम किया जा रहा है, ताकि ट्रिपिंग सहित अन्य तकनीकी समस्या न हो। इसके लिए मोहल्ले से लेकर ग्रिडों तक की मेंटेनेंस नीति पर काम शुरू हो गया है।

• मोहल्ले से लेकर ग्रिडों तक के सप्लाई सिस्टम की हो रही मरम्मत • बदले जा रहे है ट्रांसफॉर्मर, तार सहित बिजली के अन्य उपकरण • 51 सौ मेगावाट से अधिक बिजली देने का है रिकॉर्ड • 04 हजार मेगावाट तक हर रोज औसतन होती है आपूर्ति (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.3.2019)

देश में जहाँ आबादी कम, वहाँ बिजली खपत सबसे ज्यादा

दादर नागर हवेली में आबादी भले ही कम हो, पर यहाँ प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सबसे ज्यादा है। इसके उलट आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर आने वाले बिहार में खपत सबसे कम है। बिजली मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2017-18 के आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है। दादर नागर हवेली में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत से 13 गुना ज्यादा है।

415 किलो वाट बढ़ी खपत : • वर्ष 2017-18 (1149 किलोवाट/घंटा) • वर्ष 2008-09 (734 किलोवाट/घंटा)

बिहार से दोगुनी खपत यूपी में : उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग बिहार के मुकाबले दोगुनी बिजली खर्च करते हैं। मगर उत्तराखंड की खपत यूपी से भी दोगुनी है। चंडीगढ़ में भी बिजली की खपत आसपास के प्रदेशों से कम है।

उत्तर बनाम दक्षिण : दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारत में बिजली कटौती अधिक होती है। पर बिजली खपत के मामले में उत्तरी राज्य किसी से पीछे नहीं है।

• पंजाब (2049 किलोवाट/घंटा) • हरियाणा (1990 किलोवाट/घंटा) • तमिलनाडु (1834 किलोवाट/घंटा) • तेलंगाना (1727 किलोवाट/घंटा)

(बिजली मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 के आंकड़े जारी किए)

इस वजह से खपत ज्यादा : दादर नागर हवेली और दमन दीव में आबादी कम होने के बावजूद बिजली की खपत अधिक है। इसकी वजह यह है कि इन दोनों केन्द्रीय शासित राज्यों में काफी औद्योगिक इकाइयाँ हैं। इसलिए, इन दोनों प्रदेशों में बिजली की खपत दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है।

इन राज्यों में कम खपत	
झारखंड	927
केरल	766
पश्चिम बंगाल	699
असम	330
बिहार	280

अन्य राज्यों का हाल			
गुजरात	2321	हिमाचल प्रदेश	1392
छत्तीसगढ़	2003	महाराष्ट्र	1371
दिल्ली	1564	जम्मू-कश्मीर	1284
उत्तराखंड	1450	मध्य प्रदेश	1020

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.3.2019)

कामगारों के लिए मान-धन योजना वरदान : मोदी

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान -धन योजना असंगठित कामगारों के लिए वरदान साबित होगी। केन्द्र सरकार की यह एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें 55 से 200 रुपये प्रतिमाह अंशदान करने वालों को 60 वर्ष के बाद प्रतिमाह तीन हजार पेंशन मिलेगा। योजना में जितनी राशि कामगार अंशदान करेंगे, उतनी ही राशि हर महीने सरकार जमा करेगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.3.2019)

चौसा बिजली परियोजना को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित चौसा बिजली परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य के बक्सर जिले में स्थित इस बिजली परियोजना की क्षमता 1,320 मेगावॉट होगी। जिसका 85 फीसदी हिस्सा बिहार सरकार खरीदेगी। इस परियोजना पर करीब 10,450 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना पर मुहर लगा दी।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.3.2019)

बिहार को 2021 से मिलने लगेगी 528 मेगावाट बिजली

तेनुघाट उत्पादन निगम (टीवीएनएल) की 2021 में विस्तारित दो इकाइयों से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। नई यूनिटों से उत्पादित बिजली का 40 प्रतिशत हिस्सा करीब 528 मेगावाट बिहार को सक्षम प्राधिकार की ओर से निर्धारित दर पर दिया जाएगा। इस शर्त पर प्लांट के स्वामित्व को

लेकर बिहार और झारखण्ड के बीच 18 वर्षो से चल रहा विवाद खत्म हो रहा है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने झारखण्ड सरकार की ओर से रखी गई शर्तों को मान लिया है। सहमति का पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.3.2019)

बिना बताए मलबा फेंका तो लगेगा 5000 जुर्माना

नगर विकास एवं आवास विभाग ने तैयार किया निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट नीति का मसौदा

बिहार के सभी शहरी निकायों में अब निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाला मलबा यूं ही नहीं फेंका जा सकेगा। हर मलबा उत्पन्न करने वाले को इसकी सूचना निकाय को देनी होगी। फिर चाहे सस्कारी विभाग ही क्यों न हो।

एनजीटी का शिकंजा : • मलबे की सूचना संबंधित निकाय को देनी होगी • निर्धारित शुल्क वसूलकर उठाया जाएगा मलबा • 01 माह में तीन सौ टन मलबा उत्पन्न करने वालों के लिए अलग व्यवस्था।

चार श्रेणियों में बाँटना होगा

एक दिन में 20 टन या इससे अधिक मलबा पैदा करने वाले या फिर किसी प्रोजेक्ट में एक महीने में 300 टन तक मलबा उत्पन्न करने वालों को निकलने वाले मलबे को चार श्रेणियों में बांटना होगा। इसमें कंट्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी और प्लास्टिक को अलग-अलग करना होगा। इसके प्रबंधन का प्लान तैयार करने के साथ ही उस पर संबंधित स्थानीय निकायों से जरूरी अनुमति हासिल करनी होगी। अधिक मात्रा में मलबा उत्पन्न करने वालों को पहले खुद ही इसके प्रसंस्करण की व्यवस्था करनी होगी। न करने की स्थिति में निकाय को शुल्क देकर उसे उठवाना होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.3.2019)

ऐसे वसूला जाएगा मलबा शुल्क

वाहन	शुल्क (रुपए प्रति ट्रिप)
टैक्टर	1000
मिनी ट्रक	1500
लोडर	1000
डंपर	3500
हाईवा	4500
जेसीबी	1500

न्यू सचिवालय के सामने बनेगी आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग

महानगरों की तर्ज पर पटना में आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग बनायी जाएगी। इसमें गड़ियाँ लिफ्ट से ऊपरी तल्ले पर पार्क की जाएंगी। इसका निर्माण न्यू सचिवालय (विकास भवन) के सामने और ईको पार्क से पूरब सटे प्लॉट पर कराने की योजना है। नगर निगम ने इसका ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है। इसका निर्माण लक्ष्य 12 महीना रखा गया है।

• 2019-20 के बजट में किया गया है प्रावधान • 65 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी पार्किंग • 01 बीघे से ज्यादा क्षेत्रफल में होगा विकसित

कैफेटेरिया और दुकानें : प्रस्तावित स्थल पर कई दुकानें संचालित हो रही हैं। प्रस्तावित प्रोजेक्ट में वैध दुकानों को जगह देने की योजना बनायी गई है। मल्टीलेवल पार्किंग में दुकानों लिए जगह बनाया उन दुकानों को उसमें जगह दी जाएगी। बची हुई दुकानों को आवंटित कर निगम को अच्छी आय की प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस जगह विश्वस्तरीय कैफेटेरिया भी विकसित किया जाएगा। जहाँ लोग बैठकर कॉफी-चाय, स्नैक्स आदि का लुत्फ उठा सकेंगे।

"मल्टी लेवल पार्किंग एक साल में तैयार हो जाएगी। पटना में इसका निर्माण विश्व स्तर का होगा। इसमें कई खूबियाँ होंगी। गाड़ियाँ ऊपरी तल्ले पर ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होगी। वहाँ मौजूद दुकानों को भी पार्किंग में जगह दी जाएगी। एक अच्छी कैफेटेरिया भी विकसित की जाएगी।

– सीता साहू, मेयर, पटना

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.3.2019)

मोबाइल से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने पर मिलती रहेगी छूट

टिकट विंडो की भीड़ को मोबाइल तक पहुँचाने के लिए रेलवे की कोशिश बरकरार है। रेलवे ने मोबाइल से अनारक्षित टिकट खरीदने पर पाँच प्रतिशत की मिलने वाली छूट को जारी रखा है। हालांकि रेलवे ने यह छूट छह माह के लिए बढ़ाई है। लेकिन माना जा रहा है यदि अनारक्षित टिकट खरीदने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई तो इसकी अवधि फिर बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल रेलवे ने आर-वॉलेट के रिचार्ज पर पाँच प्रतिशत की अधिक धनराशि बढाकर देने का फैसला बरकरार रखा है।

गौरतलब है कि रेलवे में आरक्षित टिंकटों से सफर करने वाले यात्रियों से कई गुना अधिक अनारक्षित टिकटों पर सफर करने वाले यात्री हैं। यह यात्री उप नगरीय ट्रेनों (लोकल ट्रेनों) और लंबी दूरी के ट्रेनों से चलने वाले हैं। लिहाजा इन्हें टिकट देने के लिए विंडों पर लंबी लाइन लगी रहती है। इसमें यात्रियों को भी खासी परेशानी होती है। लिहाजा रेलवे ने करीब तीन वर्ष पहले मोबाइल एप के जरिये अनारक्षित टिकटों की बिक्री की शुरुआत की थी। मोबाइल पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री को भी शामिल किया गया है। (साभार : राष्ट्रीय सहारा, 5.3.2019)

पटना-बेंगलुरु के बीच हमसफर शुरू

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने जमुई जिले के सोनो आदर्श मध्य विद्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान झाझा-बटिया नई रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही यहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना और बेंगलुरु के बीच एक नई हमसफर (साप्ताहिक) ट्रेन का शुभारंभ भी किया।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.3.2019)

23 सीटों वाले कॉमर्शियल वाहनों को डीटीओ से मिलेगा परमिट

कॉमर्शियल वाहनों में 23 सीटों तक व पर्यटक वाहनों को अब परमिट प्रमंडलीय जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों में जिला परिवहन कार्यालय से मिलेगा। परिवहन विभाग ने बिहार मोटरवाहन नियमावली में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब संपूर्ण भारत पर्यटक परमिट जारी करने का पावर जिला परिवहन पदाधिकारी को मिला है। वहीं, पटना जिला को छोड़कर अन्य प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में सभी प्रकार के वाहनों को पर्यटक परमिट संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को देने-का पावर मिला है। पटना जिले में सभी प्रकार के वाहनों को पर्यटक परमिट पहले की तरह राज्य परिवहन प्राधिकार के सचिव द्वारा जारी किया जायेगा। राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

वाहन मालिकों को मिलेगी राहत : कॉमर्शियल छोटे वाहनों को जिला परिवहन कार्यालय से परमिट मिलने से अब राहत मिलेगी। टैक्सी, ऑटो, सभी दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन, छोटे मालवाहक वाहनों छह चक्का का परमिट जिला परिवहन कार्यालय मिलेगा। मालिकों को प्रमंडल मुख्यालयों में स्थित क्षेयीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 23 सीटों तक के वाहनों को गैर प्रमंडलीय जिलों में डीटीओ को परमिट देने का पावर दिया गया है। इससे न केवल वाहन मालिकों को समय की बचत होगी, बल्कि परमिट के लिए जिला से कमिश्नरी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 6.3.2019)

अब ट्रेन में खाने का बिल नहीं तो पैसा भी नहीं

हर कोच में लगेगा भुगतान से पहले रसीद मांगे का बोर्ड

संपूर्ण क्रांति, वैशाली और श्रमजीवी जैसी गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इन ट्रेनों की पैंट्री कार के वेंडर अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। यात्रा के दौरान पैंट्री कार के वेंडर ने खाने का बिल नहीं दिया तो आपको पैसा भी नहीं देना होगा। इसके लिए आईआरसीटीसी ने एक बड़ी पहल की है। अब ट्रेन के हर कोच में 'भुगतान से पहले रसीद मांगे' का बोर्ड हिन्दी और अंग्रेजी में लगाया जाएगा। बिल नहीं देने पर यात्रियों से पैंट्री कार के वेंडर पैसा नहीं मांग सकते हैं। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 8.3.2019)

दरभंगा से एक अगस्त से भर सकेंगे उड़ान

दरभंगा एयरपोर्ट से तीन हजार रुपये का भुगतान कर यात्री एक अगस्त से दिल्ली, मुम्बई और बंगलुरु के लिए स्पाइस जेट से उड़ान भर सकेंगे। हर दिन पहली 40 सीटों के लिए यह शुल्क लागू होगा। एक मई से कंपनी टिकटों की

बुकिंग शुरू कर देगी। यहाँ से लोगों को कंपनी फिलहाल स्पाइस जेट बोइंग 737 की सेवा देगी। यह विमान 189 सीटर है। दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक निजी होटल में कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसीडेंट नवनीत कुमार ने दरभंगा से शुरू होने वाले विमान सेवा की जानकारी दी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.3.2019)**

पटना से नोएडा-गाजियाबाद बस सेवा शुरू

मोबाइल नंबर 9798047742 पर करना होगा कॉल, ऑनलाइन सुविधा भी जल्द

पटना से नोएडा-गाजियाबाद के लिए बससेवा 4.3.2019 से शुरू हो गई। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल बताया कि पटना से गाजियाबाद और गाजियाबाद से पटना के लिए दोपहर 2 बजे बस खुली। पहले दिन यात्रियों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। सभी सीटें फुल रहीं। बस परिचालन से यात्रियों में खुशी है। होली पर घर आने में बिहारवासियों को अब काफी आसानी होगी। पटना के साथ किशनगंज से भी गाजियाबाद के लिए बस सेवा शुरू की गई। पटना से गाजियाबाद के लिए चार बसों का परिचालन होगा। इनमें दो सिटिंग और स्लीपर बसें हैं। वहीं बक्सर, नालन्दा व किशनगंज से एक-एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस सिटिंग बसें चलेंगी।

पटना से किराया : • सीटर बस रुपया 1650 • स्लीपर बस रुपया 1900 **बस का रूट :** • पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद **(साभार : दैनिक भास्कर, 5.3.2019)**

बिहार में अन्य राज्यों के नंबर वाले वाहन अब नहीं चलेंगे

• दूसरे प्रदेश के नंबर वाले वाहनों के पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना लगेगा • राज्यभर में चलाया जाएगा अभियान

अन्य राज्यों में निबंधित वाहन अब बिहार में नहीं चलेंगे। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर पाँच हजार जुर्माना लगेगा। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाने जा रहा। विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। कहा है कि अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों का परिचालन बिहार में बेरोकटोक जारी है। यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन भी है। अन्य राज्यों में निबंधित वाहन बिहार में 30 दिनों तक ही रख सकते हैं। अगर इस अवधि के बाद वाहन पकड़ा जाता है तो पांच हजार रुपए फाइन लगेगा। वाहन स्वामी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसका वाहन 30 दिनों तक के लिए ही राज्य में है। अगर वह इसमें असफल रहता तो पाँच हजार फाइन देना होगा। यह फाइन भी 24 घंटे के लिए ही मान्य होगा। अगर 24 घंटे बाद दुबारा वाहन पकड़ा जाता है तो पाँच हजार फाइन तो लगेगा ही, कॉमर्शियल वाहन टैक्स की तीन गुनी राशि भी देनी होगी। अगर दूसरे राज्य के निबंधित वाहन बिहार में चलाना चाहते हैं तो बिहार में वाहन का निबंधन कराना होगा। निबंधित वाहन का 15 साल में जितना समय बचा है। उसका टैक्स जमा करना होगा। इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा, लेकिन वाहन का नंबर वही होगा। फिर एक साल के बाद वाहन मालिक को वाहन नंबर के लिए आवेदन करना होगा और बिहार का नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। गौरतलब है कि बिहार की तुलना में झारखण्ड सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में वाहन टैक्स कम हैं।

"अन्य राज्यों में निबंधित वाहन अब बिहार में नहीं चलेंगे। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर पाँच हजार रुपए आर्थिक दंड लगेगा।"

– **संजय अग्रवाल**, सचिव, परिवहन **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.3.2019)**

वर्ष 2020 तक 42 लाख टन पर पहुँच सकता है ई-कचरा

डिजिटल क्रांति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वर्ष 2020 तक देश में ई-कचरा बढ़कर 52 लाख टन तक हो सकता है। वर्ष 2016 में देश का कुल ई-कचरा 20 लाख टन था।

उद्योग संगठन एसोचैम और ईवाई के संयुक्त अध्ययन के मुताबिक, सामाजिक और आर्थिक विकास, डिजिटल बदलाव, तेजी से उन्नत होती प्रौद्योगिकी और विकासित देशों द्वारा विकासशील देशों तथा अविकसित देशों में इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रानिक कचरा डाले जाने के कारण देश में ई-कचरा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सबसे अधिक ई-कचरा निकलने वाले दुनिया के पाँच देशों में भारत भी शामिल है। अन्य चार देश चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी है।

देश में सबसे अधिक ई- कचरा महाराष्ट्र में निकलता है। देश में निकलने वाले कुल ई-कचरा में महाराष्ट्र का योगदान 19.8 प्रतिशत है लेकिन यहाँ हर साल मात्र 47,810 टन ई-कचरे की रिसाइकलिंग हो पाती है। तमिलनाडु का योगदान 13 प्रतिशत है और यह 53,427 टन की रिसाइकलिंग करता है। इसके अलावा कुल ई-कचरे में उत्तर प्रदेश का योगदान 10.1 प्रतिशत का है और यह करीब 86.130 टन कचरे की रिसाइकलिंग करता है।

प. बंगाल का योगदान 9.8 प्रतिशत, दिल्ली का 9.5 प्रतिशत, कर्नाटक का 8.9 प्रतिशत, गुजरात का 8.8 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश का 7.6 प्रतिशत है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 4.3.2019)**

गंगा में गंदगी रोकेंगे छह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

दानापुर, फुलवारीशरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर, मनेर व खगड़िया में स्थापित होंगे एसटीपी

गंगा में गंदगी की रोकथाम के लिए केन्द्र ने बिहार में और छह परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की नमामि गंगे योजना के तहत मंजूर की गई इन परियोजनाओं से खासतौर से राजधानी पटना के आसपास व राज्य के कई दूसरे क्षेत्रों की गंदगी गंगा में जाने से रोकी जाएगी।

योजना : • केंद्रांश से बनने वाली परियोजनाओं को राज्य कैबिनेट से मंजूरी संभव • गंदे पानी का ट्रीटमेंट होगा फिर इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा • 300 करोड़ खर्च किए जाएँगे योजनाओं पर

इन परियोनाओ को मिली मंजूरी

स्थान	लागत	क्षमता
दानापुर	103.27 करोड़	25 एमएलडी
फुलवारी शरीफ	46.25 करोड़	6 व 7 एमएलडी
फतुहा	35.49 करोड़	7 एमएलडी
बख्तियारपुर	35.88 करोड़	10 एमएलडी
मनेर	41.36 करोड़	6.5 एमएलडी
खगड़िया	21 करोड़	4.5 एमएलडी

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.3.2019)

बाहरी राज्यों से जारी हुए लाइसेंस की होगी जाँच

• रद होंगे असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से निर्गत अवैध लाइसैंस • हथियार दुकानों की भी होगी पुलिस ऑडिट, गोलियों की खरीद-बिक्री भी निगरानी के दायरे में होगी

दूसरे प्रदेशों से बोगस लाइसेंस पर हथियार लेकर घुमने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे हथियार और लाइसेंस रखने वालों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अमित कुमार को प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर स्क्रूटनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। थाना क्षेत्र के आधार पर ऐसे लोग पहचाने जाएंगे। सरकार को ऐसे सूचना हैं कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आदि राज्यों से लाइसेंस बनवाकर काफी संख्या में लोग बिहार में इसकी इंट्री करवा चुके हैं। इनमें कई लाइसेंस फर्जी होने की सूचना है।

ऑर्म्स दुकानों की भी कराई जाएगी जाँच : इन राज्यों से निर्गत हथियारों की खरीद जिन दुकानों से हुई है, उनकी भी जाँच होगी। नियम यह है कि जिस जिले में दुकान है, वहाँ के जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही कोई हथियार किसी को बेचा जाएगा। खरीद-बिक्री के मामले में इन प्रावधानों के उल्लंघन की भी शिकायत मिली है। बीते एक साल से बिहार में यूनिक आइडी हथियारों के लिए भी अनिवार्य किए गए हैं, लेकिन अब भी कई लोगों ने इसे नहीं बनवाया है। मार्च के बाद वैसे लोग जिनके हथियार यूनिक आइडी के साथ नहीं दर्ज होंगे, उनके लाइसेंस भी रद किए जाएँगे। जिनका शस्त्र संपूर्ण भारत के

लिए वैध है, उनके लिए भी अनिवार्य है कि वे साल में एक बार जिस थाना क्षेत्र के आधार पर हथियार निर्गत है, वहाँ हथियार का निरीक्षण और तीन साल के अंदर लाइसेंस का नवीकरण कराएँगे। पुलिस इसकी भी जाँच करेगी। साथ ही गोलियों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड भी सत्यापित किया जाएगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.3.2019)

अब आप एक लाइसेंस पर रख सकेंगे तीन हथियार

जिले में वैध हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा चुनाव के बाद की जायेगी। जिला शस्त्र शाखा की ओर से यूनिक आइडी नंबर (यूआइएन) से लेकर लाइसेंसी हथियारों के डाटा को अपडेट किया जायेगा। आर्म्स मजिस्ट्रेट कुमारिल सत्यनंदन ने बताया कि इसके लिए सभी थानों से लाइसेंसी हथियारों की सूची मंगायी गयी है। एक लाइसेंस पर तीन हथियारों के रखने की वैधता होगी। इसके लिए अलग से लाइसेंस नहीं लेना होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक बार में एक हथियार के लिए लाइसेंस लेता है और फिर भविष्य में उसे दूसरे हथियार के लिए लाइसेंस चाहिए, तो उसे सामान्य रूप से आवेदन करना होगा, लेकिन आगे उसे नया लाइसेंस नहीं, बल्कि पहले से मिले एक हथियार के लाइसेंस पर एक और हथियार रखने की अनुमति मिलेगी। इसी तरह तीसरे हथियार के लिए भी नियम रहेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव बाद समीक्षा कर एक व्यक्ति के पास अगर दो लाइसेंस हो तो एक लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई होगी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 25.4.2019)

रद्द जीएसटी रजिस्ट्रेशन की फिर से बहाली का मौका

सीबीआइसी ने 22 जुलाई तक आवेदन करने की दी मोहलत, पेंडिंग रिटर्न दाखिल करने और देय टैक्स का भुगतान करने की रखी शर्त

राजस्व विभाग ने कंपनियों को रद हो चुके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को फिर से बहाल कराने का एक अवसर दिया है। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए जाने के कारण जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद हो चुका है, वे अब 22 जुलाई तक इसको फिर से बहाल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगी। शर्त यह रखी गई है कि उन कंपनियों को पेंडिंग रिटर्न दाखिल करना होगा और देय टैक्स का भुगतान करना होगा। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने अपने अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा कि रद जीएसटी रजिस्ट्रेशन को 22 जुलाई 2019 तक फिर से बहाल कराने का एक ही मौका दिया जा रहा है। यह मौका उन कंपनियों के लिए है, जिनके लिए 31 मार्च 2019 तक रजिस्ट्रेशन रद करने का आदेश जारी हो चुका है। जिन मामलों में आदेश के साथ ही रजिस्ट्रेशन रद हो चुका है, उनमें रजिस्ट्रेशन रद होने तक सभी बकाए रिटर्न को दाखिल करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन को फिर से बहाल करने का आवेदन आखिल किया जा सकेगा। जिन मामलों में पिछली तिथि के प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से रजिस्ट्रेशन रद किया गया है, उनमें पुनर्बहाली का आवेदन करने के लिए शर्त रखी गई है। शर्त यह है कि पुनर्बहाली का आदेश जारी होने के बाद अगले 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन रद होने की प्रभावी तिथि से पुनर्बहाली का आदेश जारी होने की तिथि तक की अवधि के सभी बकाए रिटर्न दाखिल करने होंगे।

गौरतलब है कि रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने और नियमों के कई अन्य उल्लंघन को देखते हुए सीबीआइसी अधिकारियों ने हाल में बड़े पैमाने पर कंपनियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद कर दिए थे। जीएसटी प्रणाली एक जुलाई 2017 को लागू हुई थी और इसमें करीब 1.2 करोड़ कारोबारी इकाई रजिस्टर्ड हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 26.4.2019)

कारोबारियों को अब हर तिमाही जमा करना होगा जीएसटी रिटर्न

कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों को मिली राहत

कंपोजिशन योजना के तहत आने वाले कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने में कुछ और राहत दी गयी है। ऐसे कारोबारियों का एक सरल फॉर्म में हर तिमाही स्वः आकलन आधार पर रिटर्न फाइल की अनुमति दी गयी है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार कंपोजिशन स्कीम के तहत विकल्प चुनने वालों को हर तिमाही में जीएसटीआर-4 के जरिये कर रिटर्न फाइल करनी होती थी। जीएसटी काउंसिल ने तीन दिन पहले एक फॉर्म जीएसटी-सीएमपी-8 नोटिफाइड किया है। इसके अनुसार पेमेंट डिटेल्स देना होगा और यह फॉर्म आप तिमाही के बाद 18 तारीख तक कर पायेंगे। वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट मशीन्द्र कुमार मशी ने बताया कि कंपोजिशन डीलर के लिए पहले तिमाही जीएसटीआर-4 फॉर्म भरने की व्यवस्था थी। इस जीएसटीआर फॉर्म को तिमाही के जगह पर वार्षिक रिटर्न में बदल दिया गया है। कंपोजिशन डीलर को अब अपने पेमेंट का विवरण जीएसटी-सीएमपीएच फॉर्म में हर तिमाही देना होगा और वार्षिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-4 साल के अंत में 30 अप्रैल तक देना पड़ेगा।

टेक्स क्रेडिट का पूरी तरह से कर सकते हैं प्रयोग : मशी ने बताया कि सरकार ने एक नया क्लेरिफिकेशन करते हुए व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है, जो कि फरवरी में आये नोटिफिकेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट के तरीकों के बदलाव के कारण हुआ था। ज्ञात हो कि फरवरी में आये नोटिफिकेशन के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन आइजीएसटी इनपुट पूरी तरह करने के बाद ही सीजीएसटी-एसजीएसटी का एडजस्ट कर सकते थे। इस नियम के अनुसार बहुत सारे व्यापारियों की खाता बही में सीजीएसटी इनपुट बचा हुआ रह जाता था, जिसका कि उसका कार्यशील पूंजी पर बहुत बड़ा भार होने लगा था। इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्टमेंट पूरी तरह से नहीं कर पाते थे। सरकार ने स्पष्ट किया कि आप टैक्स क्रेडिट का पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 27.4.2019)

आईजीएसटी क्रेडिट से केन्द्र-राज्य के टैक्स चुका सकती हैं कंपनियाँ

सामान आयात व एक से दूसरे राज्य ले जाने पर लगता है टैक्स

ऐसी कंपनियाँ जिनके खातों में इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) क्रेडिट जमा है, वे इसका इस्तेमाल सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी चुकाने में कर सकती हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी चुकाने का कोई अनुपात तय नहीं है। कंपनियाँ अपने हिसाब से इसे तय कर सकती हैं राजस्व विभाग ने यह स्पष्टीकरण जारी किया। इम्पोर्टर देश में लाए जाने वाले सामान पर आईजीएसटी अदा करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेजने पर भी आईजीएसटी अदा करना पड़ना है। इस टैक्स को वास्तविक जीएसटी के भुगतान के साथ एडजस्ट किया जाता है। कुछ मामलों में आईजीएसटी का रिफंड भी क्लेम किया जा सकता है। (जीएसटी के तरह वसूला जाने वाला टैक्स 50:50 के अनुपात में केन्द्र (सीजीएसटी) और राज्य (एसजीएसटी) के बीच बंटता है। आईजीएसटी की राशि केन्द्र सरकार को मिलती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने इस साल मार्च में आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) और स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) के भुगतान में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 27.4.2019)

दो माह लगातार रिटर्न न भरने वाले नहीं निकाल पाएंगे ई-वे बिल

• कंपोजिशन योजना में छह माह रखी गई है यह अवधि • 21 जून से नए नियम लागू कर देगी जीएसटी परिषद • माल भेजने व पाने वालों पर लागू किए जाएंगे यह नियम • कूरियर एजेंसी व ई कामर्स एजेंसी पर भी लागू होंगे नियम • कंपनियाँ हर माह की 20 तारीख को दाखिल करती हैं रिटर्न • कंपोजिशन योजना में तिमाही खत्म होने पर दाखिल होते हैं रिटर्न

लगातार दो माह तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी 21 जून से माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल नहीं निकाल सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दो। वहीं जीएसटी कम्पोजिशन योजना के तहत कंपनियाँ यदि लगातार दो बार (छह महीने) रिटर्न दाखिल नहीं करती हैं तो व भी ई वे बिल नहीं निकाल पाएंगी।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने इस बारे में 21 जून, 2019 की तिथि अधिसूचित की है। इसमें कहा गया है कि यदि जीएसटी नियमों के तहत इस अवधि में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो माल भेजने वाला, माल पाने वाला, ई-कॉमर्स परिचालक और कूरियर एजेंसी पर इलेक्ट्रानिक वे या ई-बिल निकालने पर रोक होगी। नियमों के अनुसार कम्पोजिशन योजना वाले करदाता यदि दो लगातार कर अवधियों के दौरान रिटर्न

दाखिल नहीं करेंगे या नियमित करदाता यदि लगातार दो माह तक रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो उनके ई-वे बिल निकालने पर रोक लग जाएगी।

माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत कंपनियों को अगले महीने की 20 तारीख तक पिछले महीने का रिटर्न दाखिल करना होता है। वहीं कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले कारोबारियों को तिमाही के अंत के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता है। माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ऐसी आईटी प्रणाली स्थापित की है जिसमें निर्धारित अवधि में रिटर्न नहीं दाखिल करने वाली कंपनियों के ई-वे बिल निकालने पर रोक लग जांएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से जीएसटी चोरी रोकने में मदद मिलेगी। बीते वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसम्बर की अवधि में जीएसटी चोरी या उल्लंघन के 15,278 करोड़ रुपए के 3,626 मामले सामने आए हैं। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 25.4.2019)**

50 लाख से अधिक आय न हो तो ऑनलाइन भरें टैक्स

वित्तीय वर्ष 2018-19 समाप्त हो गया है और अब आमदनी का ब्योरा देने की बारी है। लेकिन इसे लेकर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह काम अब आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया काफी सरल कर दी है। इसके अलावा पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने वाले फार्म भी जारी कर दिये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इन्हीं आइटीआर फॉर्म-1 और 4 में आम लोगों को अपनी आमदनी का ब्योरा देना होगा। अगर आपकी आमदनी इतनी है कि आइटीआर-1 फॉर्म भरना है, तो अब आपको किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को ले चार्टर्ड एकाउंटेंट आशीष कुमार अग्रवाल से विस्तार से बातचीत हुई। उनके अनुसार आइटीआर-1 फॉर्म वही लोग फाइल सकते हैं, जिनकी आमदनी पूरे वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से ज्यादा न रही हो। इस आमदनी में हर तरह की आमदनी शामिल है। **(साभार : प्रभात खबर, 20.4.2019)**

आयकर रिटर्न भरेंगे तो मिलेंगे ये पाँच फायदे

अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो आपके लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना जरूरी है। वहीं, सालाना आय इस सीमा से कम है तब भी आप रिटर्न फाइल कर कई फायदे ले सकते हैं।

कर विशेषज्ञों के मुताबिक, नौकरीपेशा और छोटे कारोबार करने वाले जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है वे रिटर्न फाइल कर आसानी से बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नौकरीपेशा वाले लोग कंपनी द्वारा टीडीएस कटौती का दावा कर सकते हैं।

• 01 अप्रैल से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की शुरूआत हुई है • 31 जुलाई है आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख करदाताओं के लिए

1. बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड लेना आसान : घर और कार खरीदने के लिए जब आप लोन का आवेदन करते हैं तो बैंक दो से तीन साल का आयकर रिटर्न मांगते हैं। अगर आप नियमित रूप से आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। वहीं जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनको लोन मिलना मुश्किल होता है। वहीं क्रेडिट कार्ड कपनियां भी आयकर रिटर्न को प्राथमिकता देती हैं। ये कंपनियाँ रिटर्न रहने पर कार्ड जल्द इश्यू करते हैं।

2. आसानी से मिल जाएगा टीडीएस का पैसा : अगर आप नौकरीपेशा हैं और किसी कंपनी ने आपका टीडीएस काटा है तो आप रिटर्न फाइल कर आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप कारोबारी है और टीडीएस कटौती हुई तो टीडीएस रिफंड का दावा करने के लिए आपको आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा।

3. आपके पते का सबूत : आयकर रिटर्न की कॉपी का इस्तेमाल वैध पता प्रमाण के लिए भी होता है। सभी सरकारी विभागों में यह मान्य है। आप आधार या पासपोर्ट के आवेदन में इसे आईडी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कई देश वीजा देने से पहले पिछले दो साल की आयकर रिटर्न की कॉपी मांग सकते हैं। आईटीआर नहीं होने पर वीजा देने में मना भी कर सकते हैं। आईटीआर भरा है तो वीजा आसानी से मिल सकता है।

4. बड़े बीमा कवर में जरूरी : आप 50 लाख से एक करोड़ तक के टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आयकर रिटर्न की कॉपी बीमा कंपनी मांगती है। इससे वे आपकी सालाना आय सत्यापित करती है। सरकारी ठेका लेने में भी रिटर्न की मांग की जाती है। रिटर्न देखकर वित्तीय स्थिति पता करते हैं।

5. पैसों का बड़ा लेन-देन : आयकर रिटर्न आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, बैंक में बड़ी रकम जमा करना, म्यूचुअल फंड में निवेश जैसा बड़ा लेन-देन करते हैं और आयकर रिटर्न भरते हैं तो भी आयकर विभाग नोटिस नहीं भेजेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 27.4.2019)**

जमा पैसों को दूसरे राज्यों में भेज रहे बैंक

एसएलबीसी रिपोर्ट में सामने आई कुछ सरकारी बैंकों की लापरवाही

बिहार में लोन देने में बैंकों की आनाकानी एक बार फिर सामने आई है। युवा आंत्रप्रेन्योर से लेकर कृषि क्षेत्रों से लोग आवेदन लेकर आ रहे हैं, परंतु कुछ बैंक उन्हें कागजी प्रक्रियाओं में उलझा कर लोन देने से मना कर रहे हैं। इस कारण विकास अवरुद्ध हो रहा है और बैंक बिहार से जमा उठा रहे हैं। यह जमा दूसरे राज्यों में विकास के काम आ रहा है, परंतु बिहार के लोगों का जमा पैसा बिहार में रोजगार, कृषि से लेकर किसी भी विकास कार्य में नहीं लग पा रहा है।

वार्षिक साख योजना (एसीपी) का कम से कम 95% लक्ष्य पूरा करना था। पर, हालात यह है कि कुछ बैंक तो 40 फीसदी टारगेट भी पूरा नहीं कर रहे हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की नवीनतम रिपोर्ट ने इन बैंकों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं।

एसीपी का लक्ष्य

बैंक	एसीपी टारगेट	लोन बांटा	लोन टारगेट
सिंडिकेट बैंक	18,981 करोड़	43891 करोड़	36.89%
यूनाइटेड बैंक	2,15,861 करोड़	58677 करोड़	27.18%
बैंक ऑफ इंडिया	7,92,416 करोड़	279088 करोड़	35.22%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	23343 करोड़	9276 करोड़	39.74%
यूनियन बैंक	331512 करोड़	26583 करोड़	27.18%

"बार-बार हिदायत देने के बावजूद कुछ बैंक बिहार में ऋण देने में लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि, इसके लिए बहुत से कारक जिम्मेदार होते हैं। लेकिन, इतना साफ है कि अगर बैंक अपनी झोली ढीली करें तो बिहार में भी आंत्रप्रैन्यौर बढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र में युवा आएंगे, नए प्रोजेक्ट लग सकेंगे।"

– शंभू मल्लिक, पूर्व फील्ड महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक (बिहार झारखण्ड)

(साभार : दैनिक जागरण, 24.4.2019)

फॉर्म -16 में बदलाव, वेतन के अलावा भत्तों और दूसरे स्रोतों से आय भी बतानी होगी

12 मई से प्रभावी, 2018-19 का रिटर्न इसीं पर भराएगा

क्या है फॉर्म-16 : कंपनी कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष खत्म होने के बाद फॉर्म-16 जारी करती हैं। इसमें कर्मचारियों के टीडीएस की जानकारी होती है। आयकर विभाग वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर चुका है।

आयकर विभाग ने फॉर्म-16 के फॉर्मेट में बदलाव किया है। यह फॉर्म जारी करने वाली कंपनी को अब इसमें कर्मचारी के बारे में ज्यादा जानकारियाँ देनी होंगी। इसमें मकान से आय, अन्य कंपनियों से मिले भुगतान की जानकारी शामिल है। इस संशोधन से आयकर विभाग को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। नए फॉर्म-16 में अलग-अलग टैक्स सेविंग्स स्कीम के तहत किए गए निवेश, उससे जुड़ी कटौतियाँ, कर्मचारी को मिले अलग-अलग भत्तों और दूसरे स्रोतों से हुई आय का ब्योरा भी शामिल होगा।

आयकर विभाग द्वारा संशोधित फॉर्म-16 इसी साल 12 मई से प्रभावी हो जाएगा। यानी वित्त वर्ष 2018-19 का रिटर्न संशोधित फॉर्म के आधार पर भी भरना होगा। अन्य बातों के अलावा संशोधित फार्म 16 में बचत खातों में जमा पर ब्याज के संदर्भ में कटौती का ब्योरा तथा छूट एवं अधिभार (जहाँ लागू हो) भी शामिल होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 18.4.2019)**

विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम नहीं छिपा सकेगा आरबीआइ

भारतीय रिजर्व बैंक आरटीआइ के तरत दे सूचना : सुप्रीम कोर्ट

दिया आदेश : • कई तर्को की आड़ लेकर केन्द्रीय बैंक अब तक इस तरह की सूचना देने से करता रहा है इन्कार • कोर्ट ने यह भी कहा - उसके एक पिछले आदेश को बैंक ने सही संदर्भ में नहीं किया लागू

पिछले कई वर्षों से देश की अदालतों में इस बात को लेकर मामले चल रहे थे कि जो ग्राहक जान-बूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाते हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाए या नहीं। अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) व वाणिज्यिक बैंक विभिन्न कायदा-कानूनों का हवाला देकर इन ग्राहकों के नाम जाहिर करने से बचते रहे हैं। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिससे आने वाले दिनों में जान-बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले ग्राहकों यानी विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम के जगजाहिर होने का रास्ता खुल जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई की तरह से बैंकों को लेकर जो सालाना जाँच रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसे सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत सार्वजनिक करना होगा। इस जाँच रिपोर्ट में बैंकों के एनपीए ग्राहकों समेत उनकी तरफ से की जाने वाली तमाम गड़बड़ियाँ अब सार्वजनिक होंगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 27.4.2019)**

दोस्तों से भी ले सकते हैं होम लोन

दोस्तों और रिश्तेदारों से व्यक्तिगत जरूरत या इलाज वगैरह के लिए कर्ज लेना सबसे आसान होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप दोस्त या रिश्तेदारों से होम लोन भी ले सकते हैं। यह संभव भी है और इस पर कर छूट का भी दावा कर सकते हैं। रिश्तेदारों से लिए होम लोन पर आप दो लाख रुपये तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप दूसरे कई लाभ ले सकते हैं जैसे कम ब्याज पर होम लोन, चुकाने का आसान विकल्प आदि। रिश्तेदारों से होम लोन लेने में कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए।

अगर आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से घर खरीदने के लिए लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले यह देखिए कि आयकर की धारा 80 सी के तहत बचत के जरिए आप कितने का निवेश कर चुके हैं। इसके तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। होम लोन के मूलधन भुगतान पर कटौती का लाभ धारा 80 सी की सीमा के भीतर ही आता है। आप दोस्तों या रिश्तेदारों से होम लोन के अलावा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी लोन ले सकते हैं।

• 02 लाख रुपये तक सालाना आयकर छूट प्राप्त कर सकते है दोस्त या रिश्तेदारी से लिए होम लोन के ब्याज पर • 24 बी के तहत आप दोस्त या रिश्तेदार से लिए होम लोन पर आयकर छूट का दावा कर सकते हैं • 80 सी (आयकर की धारा) के तहत होम लोन पर आयकर में छूट मिलती है • 1.5 लाख रुपये की छूट आयकर की धारा 80 सी के तहत मिलती है होम लोन में

कर्ज दे रहे हैं तो जाने लें ये बातें : • क्या आपको कर्ज लेने वाले से पैसा चुकाने की पूरी उम्मीद है? • अगर कर्ज लेने वाला भुगतान करना बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप लेट फीस चार्ज करेंगे या कोलेटरल लेंगे? • आप कब और कैसे भुगतान पाएगे? • क्या आप क्रेडिट ब्यूरो को भुगतान की रिपोर्ट करेंगे? • उस स्थिति में क्या करेंगे जब कर्ज लेने वाला पैसा चुकाने में अक्षम हो जाएगा?

कर्ज ले रहे हैं तो इसका ख्याल रखें : • क्या आपके पास पैसा चुकाने की कोई योजना है? अगर हाँ तो उसका खाका पहले से तैयार रखें। • अगर आप दिए समय पर कर्ज नहीं लौटाते हैं तो क्या होगा? क्या इस स्थिति में कर्ज देने वाला कोई कानूनी कार्रवाई करेगा? • क्या आपने कर्ज की एवज में प्रॉपर्टी या ज्वैलरी कोलेटरल के तौर पर जमा की है? • अगर हाँ तो कर्ज नहीं चुकाने पर कर्ज देने वाला इसका इस्तेमाल कैसे करेगा।

निवेश पर बेहतर रिटर्न : रिश्तेदार को होम लोन के लिए कर्ज देने वाले को फायदा ही होता है। ऐसा इसलिए कि बैंक में निवेश करने के मुकाबले कर्ज पर ज्यादा ब्याज मिलता है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान स्मार्ट, 24.4.2019)**

२० लाख रुपये तक के मामले को सुन सकता है बैंकिंग लोकपाल

बैंक में ग्राहकों को अक्सर म्यूचुअल फंड या बीमा बेचने वाले कर्मी या एजेंट घेर लेते हैं। कई बार बैंक का स्टॉफ खुद इन उत्पादों की बिक्री करता है। अपने बैंक का भरोसा कर ग्राहक इन उत्पादों की खरीद कर लेते हैं। लेकिन जब इन स्कीमों में भ्रामक या गलत जानकारी को लेकर कोई समस्या आती है तो बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में समस्या आने पर ग्राहक को संबंधित बीमा कंपनी या उसके लोकपाल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अक्सर बैंक के कर्मियों को ग्राहक के बैलेंस की जानकारी होती है। वे खाते में कोई बड़ी रकम आने पर बीमा, म्यूचुअल फंड की स्कीम पेश करते हैं। ग्राहक भी बाहर किसी एजेंट से किसी स्कीम में निवेश की बजाय बैंक के जरिए पैसा लगाना बेहतर समझते हैं। लेकिन आँख मूंदकर भरोसा नुकसानदायक हो सकता है।

बैंकिंग लोकपाल को दिए अधिकार : आरबीआई ने साफ किया है कि अगर किसी बैंक में थर्ड पार्टी के उत्पादों जैसे इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड की बिक्री को लेकर कोई खामी पाई जाती है तो यह मामला बैंकिंग लोकपाल के दायरे में आएगा। यह भी कहा है कि बैंक की ओर से बीमा, म्यूचुअल फंड या कोई अन्य थर्ड पार्टी उत्पाद बेचा जाता है तो शिकायतों को लेकर जवाबदेही उसी की होगी।

पीड़ित मुआवजे का हकदार : बैंकिग लोकपाल ऐसी शिकायतों को सुन सकता है। ग्राहकों के समय और धन की बर्बादी, मानसिक उत्पीड़न आदि को लेकर वह आरोपी कंपनी को एक लाख रुपये तक के मुआवजे का निर्देश दे सकता है। वह 20 लाख रुपये तक के मामले को सुन सकता है।

शिकायत की प्रक्रिया : शिकायत पर अगर बैंक 30 दिन में कार्रवाई नहीं करता है तो बैंकिंग लोकपाल की मदद ले सकते हैं। हर शाखा में बैंकिंग लोकपाल का नंबर और पता लिखा होता है। लिखित या ऑनलाइन शिकायत कर मुआवजे की मांग कर सकते हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.4.2019)**

सेविंग्स अकाउंट में एक लाख से ज्यादा जमा पर नुकसान, एक मई से कम होगा ब्याज

अगर सेविंग्स अकाउंट एबीआइ में है और इसमें एक लाख रुपये से ज्यादा डिपॉजिट है तो अलर्ट हो जाएँ, एसबीआइ एक मई से एक लाख रुपये से ज्यादा के सेविंग्स डिपॉजिट पर ब्याज दर घटाने वाला है। इसकी वजह आरबीआइ द्वारा अप्रैल में रेपो रेट में की गयी कटौती है। दरअसल एसबीआइ ने एक्सटर्नल बेंचमार्किंग नियम को अपनाते हुए सेविंग्स डिपॉजिट और अल्पकालिक कर्ज दरों को आरबीआइ रेपो रेट से जोड़ दिया है। इसके कारण आरबीआइ द्वारा मुख्य ब्याज दरों में की गयी 0.25 फीसदी की कटौती का लाभ स्टेट बैंक ग्राहकों को तुरंत मिलेगा। रेपो रेट कटोती के अनुरूप स्टेट बैंक एक मई 2019 से सेविंग्स अकाउंट के लिए दरें रिवाइज करने वाला है। इसके तहत एक लाख रुपये से ज्यादा के डिपॉजिट वाले सेविंग्स अकाउंट के लिए ब्याज दर रेपो रेट से 2.75 फीसदी कम होगी। कटौती के बाद मौजूदा रेपो रेट छह फीसदी है। एसबीआइ की वेबआइट के अनुसार, एसबीआइ का स्मॉल सेविंग अकाउंट उन ग्राहकों के लिए हैं, जिनके पास केवाइसी दस्तावेज नहीं हैं। इस प्रकार के अकाउंट समाज के गरीब वर्गों के लिए हैं, जिन्हें बिना किसी चार्ज के सेविंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एसबीआइ सेविंग्स अकाउंट की नयी दरें इस प्रकार होंगी : • एक लाख रुपये तक की जमा पर 3.50 फीसदी सालाना ब्याज • एक लाख रुपये से ज्यादा की जमा पर रेपो रेट से 2.75 फीसदी कम, यानी 3.25 फीसदी सालाना • एक तरह स्टेट बैंक सेविंग्स अकाउंट में मौजूदा ब्याज दर एक मई 2019 से

एक लाख रुपये से ज्यादा की जमा राशि पर 0.25 से 0.75 फीसदी तक हो जायेगी।

40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक होंगे प्रभावित : देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआइ के ब्याज दरों को लेकर नये नियम लागू होने वाले है। यह बदलाव एक मई से होने वाला है। इस बदलाव का असर एसबीआइ के 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है। **(साभार : प्रभात खबर, 20.4.2019)**

तीन बैंकों की एटीएम से बिना कार्ड निकाल सकते हैं पैसा

एटीएम और डेबिट कार्ड की मदद से पैसा निकालना बहुत आसान हो गया है। कभी बैंकों की लंबी लाइन में लगकर पैसा निकाला जाता था। अब यह काम एटीएम-डेबिट कार्ड की मदद से मिनटों में ही हो जाता है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है उसी तरह बैंकिंग भी हाइटेक होती गयी है। अब पैसा निकालने के लिए एटीएम-डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कैश निकालने के इस तरीके को कार्डलेस निकासी कहा जाता है।

एसबीआई मोबाइल बैंकिंग-भारतीय स्टेट बैंक के वाइओएनओ एप से डिजिटल लेनदेन जैसे निवेश, खरीदारी, यूटिलिटी बिल पेमेंट, रिचार्ज, टूर टिकट बुकिंग या पीआई का उपयोग करके पैसा ट्रांसफर किया जाता था। अब इस एप से डेबिट कार्ड के बिना एसबीआई एटीएम से पैसा भी निकाला जा सकता है और अन्य लोगों को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके जरिए न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। आईसीआईसीआई आई बैंक के एटीएम से नकद निकासी तभी की जा सकती है, जब आपके पास बैंक में सेविंग अकाउंट न हो। **(विस्तृत : आज, 22.4.2019)**

पटना के सभी सर्विस सेंटरों पर खोलना होगा प्रदूषण जाँच केन्द्र

ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

वाहन चालकों को एक ही छत के नीचे अब वाहनों की सर्विसिंग और प्रदूषण जाँच की भी सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने राजधानी के सभी सर्विस संेटरं पर प्रदूषण जाँच केन्द्र खोलने का निर्देश दिया है।

विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण को कम करने और लोगों की सुविधा देने के उद्देश्य से राज्य की ऑटोमोबाइल कंपनियों के सभी सर्विसिंग सेंटरों पर जांच केन्द्र खोलने निर्देश दिया गया है। प्रदूषण जाँच केन्द्रों को दो चरणों में ऑनलाइन किया जा रहा है। पहले चरण में पटना के सभी प्रदूषण जाँच केन्द्रों को ऑनलाइन किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 31 प्रदूषण जाँच केन्द्रों को चिह्नित किया गया है।

परिवहन सचिव ने बीएसआरडीसी कार्यालय में ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्हें निर्देश दिया गया कि अपने-अपने सर्विस सेंटर में प्रदूषण जाँच केन्द्र खोलें ताकि एक ही छत के नीचे सर्विसिंग के साथ प्रदूषण की जाँच की जा सके। बैठक में राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी के अलावा पंकज कुमार, शैलेन्द्रनाथ, आजीव वत्सराज मौजूद थे। **(साभार : दैनिक भास्कर, 17.4.2019)**

बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सचिन चन्द्र

चैम्बर के सदस्य बिल्डर्स एसोसियेशन पटना सेन्टर के सदस्य श्री सचिन चन्द्र को 'बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया' का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 78 साल में पहली बार बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत हुआ है।

बिल्डर्स एसोसियेशन को ओर से शनिवार दिनांक 20 अप्रैल, 2019 को पटना के अधिवेशन भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें श्री सचिन चन्द्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

श्री सचिन चन्द्र को चैम्बर की हार्दिक बधाई।

किराए के कमरे में भी खोल सकते हैं जाँच केन्द्र

• नौ शर्तों को पूरा करने वाले के नाम जारी हो जाएगा लाइसेंस
• शहर में फिलहाल चल रहे हैं 31 केन्द्र • फर्जी केन्द्रों की हो रही जाँच

शहर की आबोहवा ठीक करने के प्रयास में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। हर क्षेत्र में प्रदूषण जाँच केन्द्र की पहुँच के लिए सरकार ने सराहनीय पहल की है। इस तरह के केन्द्र अब आम आदमी भी खोल सकता है। इसके लिए ज्यादा औपचारिकता की भी जरूरत नहीं होगी। कुछ तय शर्तों को पूरा करने के बाद प्रदूषण जाँच केन्द्र का संचालन आप भी कर सकते हैं।

फिलहाल 31 केन्द्र : राजधानी में फिलहाल 31 प्रदूषण केन्द्र चल रहे हैं। शेष फर्जी हैं। इसकी जाँच भी लगातार चल रही है।

इन शर्तों का करना होगा पालन : • राज्य परिवहन आयुक्त के पक्ष में 15 हजार रुपये जमा करना होगा अभ्यर्थियों को। • शपथ पत्र भरने से पहले स्मोकमीटर और गैस एनालाइजर का क्रय अवश्य कर लें। • वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र के लिए एक हजार के स्टांप पेपर पर 11 महीने का किरायानामा देना होगा। • आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड को स्वप्रमाणित कर जमा कराना होगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान स्मार्ट, 26.4.2019)**

मिलावटखोरों पर मोबाइल से शिंकजा

मिलावट के खिलाफ शिकायत पत्र लेकर कार्यालयों के नहीं लगाने होंगे चक्कर

मिलावटखोरों के खिलाफ स्मार्ट फोन बड़ा हथियार बन गया है। अब शिकायतीपत्र लेकर कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। आम जन सीधे अपने मोबाइल से एप डाउनलोड करके शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकार) ने एक विशेष एप बनाया है। खास बात यह है कि एप के माध्यम से होने वाली शिकायत की अधिकारी अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं।

"मोबाइल एप से शिकायत की सुविधा से लोंगों का काम आसान होगा। कहीं से भी उपभोक्ता शिकायत कर खाद्य पदार्थों की जाँच करा सकते हैं।"

– अजय कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पटना

(विस्तृत : हिन्दुस्तान स्मार्ट, 27.4.2019)

विनम्र-निवेदन

1. **वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु सदस्यों को सदस्यता शुल्क का बिल भेज दिया गया है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यथाशीघ्र सदस्यता शुल्क भेजने की कृपा करें।**
2. **आपके फोन / मोबाईल / ईमेल में अगर कुछ बदलाव हुआ हो तो चैम्बर को अवगत कराने की कृपा करें।**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296